'अप्प दीपो भव'

वॉयस ऑफ बुद्धा

Postal Reg. No.-DL(ND)-11/6144/2016-18
WPP Licence No.- U(C)-101/2017-18
R.N.I. No. 68180/98

Date of Publication : 15.03.2018
Date of Posting on concessional rate :
2-3 & 16-17 of each fortnight

मूल्य : पाँच रूपये

प्रेषक : डॉ0 उदित राज (राम राज) चेयरमैन – जस्टिस पब्लिकेशंस, टी–22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001, फोन : 23354841–42

Website : www.uditraj.com E-mail: parisangh1997@gmail.com

● वर्ष : 21 ● अंक 8 ● पाक्षिक ● द्विभाषी ● कुल पृष्ठ संख्या 8 ● 1 से 15 मार्च, 2018

14 मार्च, 2018 को नवभारत टाइम्स में प्रकाशित लेख

बैंक घोटाले रोकने के लिए अधिकारी भी हों जिम्मेदार

जब से नीरव मोदी एवं मेहुल चौकसी द्वारा बैंक लूट का पर्दाफाश हुआ देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। ईडी, सीबीआई, आयकर आदि एजेंसिया इनके खातों और सम्पत्ति के बारे में पता लगाने में जुटी हुई हैं। खबरों से पता लग रहा है कि मुख्य रूप से नजर पैसा लूटकर भागने वालों पर ही है लेकिन अधिकारी और ऑडीटर्स की भूमिका पर हल्की–फुल्की चर्चा ही हो रही है। 5 साल में अब तक 8670 बैंक लोन घोटालों से 61,260 करोड़ की लूट हो चुकी है। वर्तमान सुरक्षा प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। एक सुझाव यह है कि एक नहीं बहुयामी सत्यापन और सुरक्षा ढांचा बनाया जाए। दूसरा कि लेन–देन पर नियमित रूप से जांच और नजर रखना चाहिए। तीसरा बैंक खाता का मिलान लेन–देन से नितदिन होना चाहिए। इसके अतिरिक्त तीन स्तर पर कन्ट्रोल हो। पहला व्यक्ति के पास पासवर्ड और आईडी दूसरा व्यक्ति उसका अनुमोदन करे और तीसरा लेन–देन।

जो छोटे कारोबारी हैं, अगर बैंक से लोन लेते हैं तो उनका शतप्रतिशत वापिसी हो जाता है, लेकिन बड़े लोन वालों के साथ ऐसा नहीं है। छोटे कर्जदार डरे रहते हैं कि खेत और घर की कुड़की हो जाएगी और जेल चले जाएंगें। समाज में बदनामी होगी लेकिन बड़ों पर यह नहीं लागू होता। ज्यादातर बड़े लोन में घोटाला शुरू में ही हो जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई 100 या 1000 करोड़ रूपये का लोन लेता है, प्लांट और मशीनरी खरीदते वक्त ही 50 प्रतिशत तक बिल बढ़ा दिया जाता है और वह पैसा निकालकर रिश्तेदारों के नाम से धन–सम्पत्ति या व्यापार शुरू हो जाता है, या कोई सम्पत्ति खरीद ली जाती है और कुछ मामले में विदेश भी भेज दिया जाता है। शुरू से ही कारोबार में घाटा दिखाया जाने लगता है और अंत में स्वयं दिवालिया घोषित होने के लिए आगे आते हैं। इस तरह के कर्जदारों को शायद ही जेल भेजा जाता हो और इनकी सम्पत्ति और कारोबार को कुड़की करने में बहुत समय लग जाता है, न कि जैसे एक किसान कर्जदार, जिस पर कुछ ही दिनों में कार्यवाही कर दी जाती है।

जांच एजेंसियां इस समय घोटालेबाजों के पीछे पड़ी हैं, लेकिन उन पर भी उतनी शक्ति की जानी चाहिए जो आंतरिक ऑडीटर थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से भी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के लेन–देन का ऑडिट तो किया ही होगा तो किस बात की ऑडिट। क्यों नहीं उस समय पकड़ पाए? जो–जो अधिकारी शामिल हैं, वे क्या कर रहे थे? आयकर विभाग में काम करने का अनुभव यह रहा कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुच्छेद 271 सी, के तहत करवंचना करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए। हर तीसरा–चौथा आयकर दाता के खिलाफ इस अनुच्छेद का इस्तेमाल किया जा सकता है। करोड़ों आयकर दाता में से साल में दो–चार को ही शायद ही जेल भेजा जाता है। ऐसे में वित्तीय अपराध करने में कोई क्यों डरेगा? जब मैं आयकर विभाग में ऐसे मामले पकड़ता था तो प्रेस में खबर देने से रोका जाता था कि इससे करदाता की बदनामी होगी। किसान या छोटे कारोबारी की सम्पत्ति जब ढोल बजाकर जब्त की जाती है तो क्या उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं होती। यह हमारी व्यवस्था गैरलिखित कानून बन गया है कि बड़ा लोन लेने वाला और खासतौर से कार्पोरेट दिवालिया ही क्यों न हो, शायद ही गिरफ्तार किए जाते होगें। बैंक और तमाम विभाग अंत तक कोशिश करते रहते हैं कि रकम कम करके ही कुछ पा लें। या थोड़ी–बहुत अन्य कानूनी कार्यवाही करते रहते हैं, जबकि घोटालेबाज करोड़ों की गाड़ी और बंगले की मौज लेता रहता है। साइफन किए हुए लोन से बच्चे एवं रिश्तेदार बड़े–बड़े कारोबार करते रहते हैं

। इन बड़े–बड़े लोन वालों की सेहत पर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। जो बैंक के कर्ज को नहीं लौटाते उसी को नॉन–परमार्मिग असेट (एनपीए) कहा जाता है। क्यों नहीं फौरन रिश्तेदारों के बैंक लोन लेने के पहले आय और पूंजी का पता लगाकर शेष को जब्त किया जाए। अब तो ज्यादातर अमीर बाहर के देशों में मकान और सम्पत्ति ऐसे घोटाले से अर्जित कर लेते हैं।

ज्यादातर व्यापार इस देश में बैंक लोन से ही किए गए हैं। बैंक में पैसा जनता का होता है और यह कहते थकते नहीं कि धन कमाया है तो मेहनत और दिमाग से न कि किसी के सहयोग से। हमारे देश के उद्यमियों और दूसरे में बड़ा फर्क है। बैंक से कर्ज तो वे भी लेते हैं लेकिन न लौटाने की स्थिति में कड़ी सजा दी जाती है। अमेरिका में दर्जनों सेलिब्रिटी वित्तीय घोटाले में जेल में सड़ रहे हैं। हमारे यहां शायद एक भी नहीं होगा। चीन में तो भ्रष्ट पूंजीपतियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। हमारे यहां 1000–500 करोड़ वाले संभ्रांत नागरिक की तरह जीवन बिताते हैं, लेकिन एक झापड़ मारने से या हल्की चोट पहुंचाने से व्यक्ति को जेल जाना पड़ता है, वित्तीय अपराध से हजारों और लाखों लोग प्रभावित होते हैं, लेकिन उसकी सजा नहीं है। लेनदार अगर अदालत में मुकदमा भी दायर करे तो एक निष्चित आय पहले जमा करनी पड़ती है और न्याय मिलने में कितने साल लग जाएं, कुछ अता–पता होता ही नहीं। ऐसे में ईमानदार को सजा मिलती है, बेईमान मौज–मस्ती की जिंदगी गुजारते रहते हैं।

बैंकों के घोटालों को रोकने के लिए बैंक अधिकारी, इंटरनल ऑडिट एवं आरबीआई के ऑडिट करने वालों के खिलाफ कड़ा कानून बने और इन्हें अधिकतम सजा दी जाए, तभी जाकर घोटाले रोके जा सकते हैं। इनके वेतन और सम्पत्ति से कर्ज की कुछ भरपाई की जाए। इनकी सजा मृत्युदंड के समतुल्य तय की जाए। जब तक इनमें डर नहीं पैदा होता तब तक बैंक घोटाले को रोकना आसान नहीं है।

***

अब समय आ गया है कि दलित, पिछड़े एवं अल्पसंख्यक साथ मिलकर लड़े

गत् 26 दिसंबर, 2017 को रामलीला मैदान, दिल्ली में आरक्षण बचाओ रैली से पूर्व ही डॉ. उदित राज जी के संरक्षण में दलित, ओबीसी एवं माइनॉरिटी परिसंघ (डीओएम परिसंघ) बनाया गया, जिसका पहला सम्मेलन 27 फरवरी, 2018 को मावलंकर हॉल, कांस्टीट्यूशन क्लब, नई दिल्ली में आयोजित किया गया और सम्मेलन अपेक्षा से अधिक सफल रहा। मुख्य रूप से इसमें दिल्ली और आस–पास के ही नेता एवं सक्रिय कार्यकर्त्ता शिरकत किए। अब सभी प्रदेशों में इसका विस्तार इसी तरह के सम्मेलन आयोजित करके पदाधिकारी नियुक्त करने की योजना है।

उपरोक्त सम्मेलन को माननीय डॉ. उदित राज जी के अलावापरमेन्द्र (संयोजक), एस.पी. वर्मा (महासचिव, पीसीसीएल , हुसैन वहीद, सुदेश यादव, बाबू लाल, विजय भगत (डिप्टी मेयर, उत्तरी दिल्ली नगर निगम), ओम प्रकाश सिंघमार (अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव परिसंघ), सविता कादियान पंवार (संयोजक, महिला मोर्चा परिसंघ), मौलाना हाजी इब्राहिम, हाफिज मोहम्मद जावेद, डॉ. अरविंद आलोक, मुस्तफा कुरेशी, राहुल शाहू (अध्यक्ष, शाहू–राठौर महासभा), विश्राम मीणा (महासचिव, राजस्थान परसिंघ), महेश चंद शाहू (राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, शाहू समाज) कलीराम तोमर (अध्यक्ष, भारतीय समता समाज), नीरज चक (महासचिव, उ.प्र. परिसंघ), एम.एस. लाकरा, महासिंह भूरानिया, विजेन्द्र यादव (अध्यक्ष, यदुवंशी समाज) आदि ने संबोधित किया।

दीप प्रज्वलित करते हुए डॉ. उदित राज जी के दाए ओर परमेन्द्र, विजय भगत, बाबू लाल और बाएं ओर कली राम तोमर, महासिंह भूरानिया, एस. पी. वर्मा एवं अन्य

डॉ. उदित राज जी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि 2006 में जब पिछड़े वर्ग को उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण मिला तो तथाकथित सवर्ण इसके विरोध में सड़कों पर उतर आए और पिछड़ों में से उतनी आवाज नहीं उठी और ऐसा लगने लगा कि ओबीसी को मिला यह आरक्षण सवर्ण वापिस कराने में सफल हो जाएगें तो मजबूर होकर मैंने परिसंघ के माध्यम से पिछड़ों को मिले आरक्षण के समर्थन में मोर्चा संभला और यह अधिकार बरकरार रहा। उस समय कुछ लोगों को भ्रम हुआ कि मैं दलितों का नेता हूं या पिछड़ों का।

शेष पृष्ठ 4 पर

2-2 दीनार में हुई हिन्दू महिला नीलाम, क्योंकि बंटा हुआ था हिन्दू, और आज भी नहीं सुधरा

शायद यह बात आपको पसंद न आये पर दैनिक भारत ने इस बात की परवाह कभी नहीं की, क्योंकि सच कितना भी कड़वा हो उसे बोला ही जाना चाहिए। पहले हम एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं, तो ये एक पेंटिंग पर असली घटना पर आधारित है। दूसरे धर्म की महिलाओं का बलात्कार, उनको पकड़कर लूटना और बाजार में बेचना ये अरबी संस्कृति रही है और अभी हाल ही में इसी संस्कृति को इराक और सीरिया में दोहराया भी गया है, भारत पर महमूद गजनी ने 17 बार आक्रमण किया था, कभी इस राजा पर आक्रमण, कभी उस राजा पर आक्रमण, और हिन्दू इतने बंटे हुए थे कि हर बार ये सोचते थे कि उस राज्य पर हमला हुआ है। हमे क्या? ऐसा करते-करते गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और भारत से धन के अलावा 4 लाख हिन्दू महिलाओं को अफगानिस्तान ले गया, वहां उनकी नीलामियां हुई, औरतों को नंगा किया जाता था। जिस औरत का बदन जितना अच्छा उसकी उतनी ऊँची कीमत मिलती थी, ऊपर की ये पेंटिंग भी उसी नीलामी को दिखाने की कोशिश कर रही है। अफगानिस्तान में आज भी गजनी नाम की एक जगह है, पहले ये काफी बड़ी जगह हुआ करती थी, पर अब जैसे कोई छोटा गाँव हो, आज भी गजनी नाम की जगह अफगानिस्तान में है, यहाँ पर आज भी बाबर की कब्र मौजूद है। खैर हम बात कर रहे हैं। बाबर से कहीं पहले गजनी के जमाने की 17 बार में गजनी 4 लाख हिन्दू महिलाओं को अफगानिस्तान ले गया, और वहां उनको नीलाम किया गया, बहुत सी महिलाओं ने आत्महत्या भी की, आज भी गजनी में एक स्तम्भ है जिस पर लिखा है। ''दुख्तरे हिन्दोस्तान, नीलामे दो दीनार।'' इसका मतलब है ''ये है वो जगह जहाँ पर हिंदुस्तान से लायी गयी (हिन्दू औरतें) 2-2 दीनार में बेचीं गयीं।'' हर बार गजनी भारत आता रहा, गजनी ही नहीं और भी अन्य हमलावर भारत आते रहे कुछ यहीं रह गए जैसे मुगल इत्यादि और कुछ वापस चले गए जैसे गजनी, अब्दाली इत्यादि, ये तमाम दरिंदे अपने साथ हिन्दू महिलाओं को ले जाते रहे और उन्हें बेचते रहे और ऐसा इसलिए होता रहा क्यूंकि हिन्दू जातिवाद में इतनी बुरी तरह बंटा हुआ था कि कोई भी हिन्दू राजा दूसरे की मदद को कभी आता ही नहीं था और 4 लाख से अधिक औरतों को इसी वजह से अफगानिस्तान, ईरान में बेचा गया, इतना सब होने के बाबजूद, आज भी नहीं सुधरा है हिन्दू, आज भी अलग अलग जातियों में बंटा हुआ है, और ये भी एक प्रमुख कारण है कि हिन्दू आज कमजोर सा प्रतीत होता है क्योंकि वो खुद ही एकजुट नहीं है।

जब पृथ्वीराज का युद्ध गोरी से चल रहा था। तो बाकी हिन्दू राजा सोये हुए थे, जब शिवाजी महाराज औरंगजेब से लड़ते थे, तो बाकी हिन्दू राजा सोये हुए रहते थे। न केवल जाति बल्कि भाषा और अन्य कई तरह के चीजों में हिन्दू बंटे हुए थे और भारत का नाश हुआ, इतिहास होता ही है सीखने के लिए, आज भी समय है कि हिन्दू इतिहास से ही सीखे और समाज में एकजुटता लाये, जातिवाद को पीछे छोड़े।

http://yatharthsandesh.com/blog/detailsnw/587

***

जम्मू कश्मीर के अंबारां में था नालंदा से भी बड़ा बौद्ध महाविहार

विजय नारायण सिंह

चिनाब नदी के किनारे अखनूर के पास अंबारां में कभी बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय और महाविहार से भी बड़ा महाविहार था। हालांकि, अभी इस पूरे इलाके की पूरी खोदाई होनी बाकी है। इस इलाके की भौगोलिक स्थिति बताती है। कि यहां कई प्राचीन संस्कृतियों और सभ्यताओं के अवशेष छिपे हैं। यह स्थान इसलिए भी खास है कि यहां हुई खुदाई में विशेष किस्म की एक मंजूषा (कास्केट) मिली है। इसमें कुछ रत्नों के साथ ही किसी मनुष्य के अवशेष मिले हैं। इसमें राख और अस्थियों के कुछ टुकड़े हैं।

करीब डेढ़ दशक पहले भारतीय पुरातत्व सर्वे (एएसआई) द्वारा यहां की गई खुदाई में चार प्रमुख संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। इनमें प्री कुषाण काल ईसा पूर्व पहली शताब्दी, ईसा पूर्व पहली से तीसरी शताब्दी तक कुषाण काल, चौथी-पांचवीं सदी गुप्त काल और गुप्त काल के बाद छठवीं से सातवीं शताब्दी के अवशेष मिले हैं।

इनमें टेराकोटा की मूर्तियां, मास्क कुछ लोहे के औजार और कई स्तूपों के अवशेष मिले हैं। अगस्त 2014 में इस स्थान के महत्व को देखते हुए बौद्ध गुरु दलाईलामा भी यहां की यात्रा कर चुके हैं। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय और महाविहार का क्षेत्रफल करीब 30 एकड़ है, जबकि अंबारां में खुदाई के स्थल के आसपास के इलाके में करीब 30 से 40 एकड़ में मिट्टी के टीले फैले हैं। इन टीलों से पता चलता है कि इनके नीचे तमाम पुरातात्विक रहस्य छिपे हैं। एएसआई यहां महज 99 मीटर लंबाई और 33 मीटर चौड़ाई के क्षेत्रफल में ही खुदाई कर पाया है। इसका कारण यह रहा कि इतनी ही जमीन सरकारी है। इसके आसपास स्थानीय किसानों की जमीन होने के कारण वह यहां खुदाई नहीं कर पाया।

अखनूर हजारों साल से बौद्ध भिक्षुओं और व्यापारियों के लिए ऐतिहासिक रूट रहा है। नालंदा, बोधगया, सारनाथ, कौशांबी अखनूर होते हुए भिक्षु तक्षशिला (अब पाकिस्तान में) तक की यात्रा करते थे। इस पूरे रूट की तलाश अभी बाकी है। यदि पूरे इलाके की खुदाई कर महाविहार के वास्तविक स्वरूप को सामने लाया जाए तो यह स्थान भी सारनाथ, बोधगया और नालंदा की तरह एक बड़ा पर्यटन केंद्र बन सकता है। अंबारां में जिस महाविहार की खोज हुई है, उसका अस्तित्व कैसे समाप्त हुआ होगा, यह अभी रहस्य ही बना हुआ है। विदेशी आक्रमण या प्राकृतिक हलचल इसके कारण हो सकते हैं। यह अभी शोध का विषय है। माना जाता है कि देश में तमाम स्थानों पर मिलने वाले स्तूपों में बुद्ध के अवशेष रखे हुए हैं। बुद्ध के अवशेषों को अनुयायियों में बहुत ही पवित्र माना जाता है। यहां मिली मंजूषा में राख और कुछ हड्डियां मिली हैं।

जिस तरह से इसे सजावट के साथ रखा गया था, उससे यही प्रतीत होता है कि राख और अस्थियां बौद्ध धर्म के किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की हो सकती हैं। यह अभी शोध का विषय है कि ये अवशेष किसके हैं। बुद्ध के ही हैं या उनके किसी महत्वपूर्ण शिष्य के हैं। मंजूषा की ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और परिधि 5.6 सेंटीमीटर है। इसे सोने के 30 पतले पत्तरों से सजाया गया है। इसके अंदर सोने की मंजूषा मिली है। इस सोने की मंजूषा के अंदर चांदी की मंजूषा और इसके अंदर कुछ मोती, चांदी के दो सिक्के, तांबे के कुछ सिक्के, राख और कुछ अस्थियां रखी गईं थीं।

https://www.amarujala.com/jammu-and-kashmir/ambarn-buddhist-monastery-was-bigger-than-nalanda-monastery?pageId=2

***

आधी दुनिया साझी दुनिया

महिलाओं की पराधीनता और तीज-त्योहार

2 नवंबर, 2012

(इतिहास में हर चीज गतिशील है. आज व्रत-त्यौहार महिलाओं के पाँव की बेडी हैं, लेकिन एक दौर ऐसा भी गुजरा है जब स्त्रियों और शूद्रों के लिए पूजा-पाठ करना भी निषिद्ध था। ब्राहमणवादी विधि-निषेधों और पुरुष वर्चश्व के खिलाफ संघर्ष का का एक मुद्दा यह भी था कि स्त्रियों को उनके बराबर ही पूजा-पाठ का हक मिले. कश्मीर में ललद्यद या रूप भवानी और मीरा का संघर्ष इसी का प्रमाण है। कालांतर में पूजा-पाठ खुद ही महिलाओं की मानसिक गुलामी का अस्त्र बन गया। इसी विषय में प्रस्तुत है रति सक्सेना की यह विचारोत्तेजक टिप्पणी (आधी दुनिया, साझी दुनिया)

हम अपने भूत से बस उतना ही परिचित है, जितना सुना हैं, पढ़ने की कोशिश करते भी नहीं....

इस वक्त मेरे सामने स्मृति ग्रन्थ खुले है, मैं व्रत के बारे में खोज रही हूं तो अचम्भित करते तथ्य दिखाई देते है (अंचम्भित अपने अज्ञान के प्रति, क्यों कि स्मृतियाँ तो सुरक्षित हैं हीं) स्मृतियों में व्रतों के बारे विस्तार से बखान है, कि क्या करना चाहिये, क्या नहीं। मैंने देखा स्मृति शास्त्रों में स्त्रियों और शूद्रों को व्रत- उपवासों से पूरी तरह वंचित किया गया है, मेरे सामने अत्रि स्मृति (सोलह स्मृतियाँ है, कृपया ध्यान रखें) खुली है, जिसका 133वाँ और 134 , 135 श्लोक कहते हैं।

जप तप तीर्थ यात्रा , सन्यास , मन्त्र सिद्धी, और देवताओ की अराधना शूद्र और स्त्री के पतन का हेतु हैं। जो स्त्री पति के जीवित रहते हुए उपवास करती है वह पति की आयु कम करती है। यदि स्त्री को किसी तरह के पुण्य कर्म की इच्छा है तो वह पति के पाँव धोकर जल पीये।

अतःपरंप्रवक्ष्यामिस्त्रीशूद्रपतनानिच।
जपस्तपस्तीर्थयात्रा प्रव्रज्यामन्त्रसाधन।।
अत्रि स्मृति 133

देवताराधनचौवस्तरीशूद्रपतनानिषट।
जीवद्भर्तरियानारी उपोष्यव्रतचारिणी।।
अत्रि स्मृति 134

आयुष्यंहरतेभर्तुःसानारीनरकंव्रजेत।
तीर्थस्नानार्थिनीनारी पतिपादोदकंपिबे।।
अत्रि स्मृति 135

स्मृति काल वैदिक एवं उपनिषदिक काल से काफी बाद का है, लेकिन बृहदारण्यक उपनिषद में हम मेत्रैयी और याज्ञवल्यक्य की कथा पढ़ते हैं जहाँ याज्ञावल्क्य पत्नियों को छोड़ कर सन्यास हेतु वन जाने की बात कहते हैं तो मेत्रैयी यही सवाल करती है कि आपको तो आत्मज्ञान सन्यास से होगा तो आपके छोड़े गये धन से हमारी मुक्ति कैसे सम्भव होगी। यहाँ याज्यवल्क्य प्रसन्न होकर उपदेश देते है (क्या देते हैं, वह हमे उपनिषद में नहीं मिलता लेकिन दन्ड नहीं।) लेकिन स्मृति काल में तो दण्ड निश्चित कर दिया गया है। स्मृति काल स्त्री और शूद्रों के लिये बेहद कटु काल रहा है, लेकिन इसकी कटुता को हम अपने जीन में आज तक धारण करते आ रहे हैं। तो अब सवाल यह उठता है कि स्त्री ने पुरुष के संसार में कब सैंध मारी, कब उनके व्रत- उपवास उड़ा कर अपने बना लिये? यह एक रोचक विषय है और स्त्री स्वतन्त्रता का दूसरा मायने खोलता है। स्त्री ने ना केवल व्रत करना शुरु किया बल्कि पुरुष को भी भ्रमित कर स्त्री ने ना केवल व्रत करना शुरु किया बल्कि पुरुष को भी भ्रमित कर अपने काम में शामिल भी कर लिया। ध्यातव्य है कि स्त्री के व्रत अधिकतर पुत्र , पति या घर के लिये होते हैं, इसके पीछे भी कोई संज्ञान है क्या? ध्यातव्य यह भी है कि पूर्णतया भक्ति या सन्यास के मार्ग में जाने वाली स्त्रियाँ समाज और परिवार से प्रताड़ित भी हुई, दक्षिण में अक्का महादेवी (माला चाहे हीरे की क्यो ना हो, / बंधन ही है/ जाल चाहे मोतियों का क्यों न हो/ रुकावट ही है, ? गर्दन चाहे ? सोने की तलवार से ? क्यो ना कटे ? मौत ही है। हे प्रभु ! तुम ही बतलाओं ? जिन्दगी के फेर में पड़ कर क्या कोई छूट सकता है ? जनम मरण के बन्धन से) कश्मीर में ललद्यद या रूप भवानी हो, मीरा का संघर्ष भी यही था। मैंने बचपन से देखा था कि स्त्रियों की पूजा में किसी माध्यम यानी पण्डित की जरुरत नहीं होती, वे स्वय ही चावल हल्दी के एपन चौक पूर मिट्टी के ढ़ेले की गौर स्थापन कर चार छह कथा कह पूज लेती हैं। उनकी पूजाओं में पुरुषों की भी जरुरत नहीं पड़ती....

मै अब यह जानने की कोशिश कर रही हूँ कि व्रतहीन स्थिति से व्रत युक्त स्थिति तक आने में उन्हे कितना वक्त और कितनी मेहनत लगी.... और किस तरह से घर के भीतर ही उन्होंने विरोध की आग सुलगा कर रखी..... मैं अपनी माँ के इस विद्रोह कि साक्षी रही हूँ। (जब से मुझे याद है,) मैंने उन्हें सुबह सुबह मन्दिर जाते देखा है, इसके लिये उन्हे बेहद विरोध झेलना पड़ता था, वे सुबह तीन बजे ही उठ कर कपड़े धोकर नहा लेती और सबके उठने से पहले चुपचाप पूजा की थाली लेकर मन्दिर निकल जातीं। पिता दाँत पीसते रह जाते, गुस्सा होते लेकिन उनका विद्रोह चलता रहा। वे करीब सात बजे तक लौट भी आती, क्यो कि उन्हे नौ बजे तक पिता के लिये भोजन तैयार करना होता था.... लेकिन मन्दिर के नियम को नहीं तोड़ती... एक बार मैंने कहा कि जब घर में पिता जी को पसन्द नहीं तो आप मन्दिर क्यो जाती है, तो बोली कि सुबह -सुबह घर से निकलती हूँ तो ठण्डी हवा लगती है, मन्दिर में दण्डवत करों, जल चढ़ाओं को शरीर का व्यायाम हो जाता है, और कोई प्रवचन चल रहा हो तो दीमाग को दिन भर की खुराक मिल जाती है..... मैं तेरी- मेरी नहीं करती, इधर- उधर गप्पे नहीं लगाती तो मन्दिर और पूजा में क्या बुराई... मेरी माँ स्त्रियों के विद्रोह की एक कड़ी थी, बस.....

http://aadhiduniyasajhiduniya.blogspot.in/2012/11/blog-post_2.html

संत गाडगे बाबा

राजबहादुर बता रहे हैं 20 सदी के महान नेता और महान संत के साहचर्य को और सामाजिक समता के लिए दोनो के प्रयासों को

बीसवीं सदी के समाज-सुधार आन्दोलन में जिन महापुरूषों का योगदान रहा है, उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण नाम बाबा गाडगे का है। बुद्धिजीवियों का ध्यान बाबा गाडगे की तरफ न जाने से उनका नाम ज्यादा प्रकाश में नहीं आ सका। लेकिन अब विद्वानों का ध्यान उधर गया है और बाबा गाडगे के बारे में लिखा जा रहा है एवं समाज सुधार आन्दोलन में उनके योगदान को रेखांकित किया जा रहा है। अगर देखा जाय तो बाबा गाडगे संत कबीर और रैदास की परंपरा में आते हैं। उनकी शिक्षाओं को देखकर ऐसा लगता है कि वे कबीर और रैदास से बहुत प्रभावित थे। यह संयोग ही है कि संत रैदास और गाडगे बाबा की जयंती एक ही महीने में पड़ती है। गाडगे बाबा का जन्म 23 फरवरी, 1876 ई. को महाराष्ट्र के अमरावती जिले की तहसील अंजन गांव सुरजी के शेगाँव नामक गाँव में कहीं सछूत और कहीं अछूत समझी जाने वाली धोबी जाति के एक गरीब परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम सखूबाई और पिता का नाम झिंगराजी था।

बाबा गाडगे का पूरा नाम देवीदास डेबूजी झिंगराजी जाड़ोकर था। घर में उनके माता-पिता उन्हें प्यार से 'डेबू जी' कहते थे। डेबू जी हमेशा अपने साथ मिट्टी के मटके जैसा एक पात्र रखते थे। इसी में वे खाना भी खाते और पानी भी पीते थे। महाराष्ट्र में मटके के टुकड़े को गाडगा कहते हैं। इसी कारण कुछ लोग उन्हें गाडगे महाराज तो कुछ लोग गाडगे बाबा कहने लगे और बाद में वे संत गाडगे के नाम से प्रसिद्ध हो गये।

गाडगे बाबा डॉ. अम्बेडकर के समकालीन थे तथा उनसे उम्र में पन्द्रह साल बड़े थे। वैसे तो गाडगे बाबा बहुत से राजनीतिज्ञों से मिलते-जुलते रहते थे। लेकिन वे डॉ. आंबेडकर के कार्यो से अत्यधिक प्रभावित थे। इसका कारण था जो समाज सुधार सम्बन्धी कार्य वे अपने कीर्तन के माध्यम से लोगों को उपदेश देकर कर रहे थे, वही कार्य डॉ आंबेडकर राजनीति के माध्यम से कर रहे थे। गाडगे बाबा के कार्यो की ही देन थी कि जहाँ डॉ. आंबेडकर तथाकथित साधु-संतों से दूर ही रहते थे, वहीं गाडगे बाबा का सम्मान करते थे। वे गाडगे बाबा से समय-समय पर मिलते रहते थे तथा समाज-सुधार सम्बन्धी मुद्दों पर उनसे सलाह-मशविरा भी करते थे। डॉ. आंबेडकर और गाडगे बाबा के सम्बन्ध के बारे में समाजशास्त्री प्रो. विवेक कुमार लिखते हैं कि ''आज कल के दलित नेताओं को इन दोनो से सीख लेनी चाहिए। विशेषकर विश्वविद्यालय एवं कालेज में पढ़े-लिखे आधुनिक नेताओं को, जो सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा समाज-सुधार करने वाले मिशनरी तथा किताबी ज्ञान से परे रहने वाले दलित कार्यकर्ताओं को तिरस्कार भरी नजरों से देखते हैं और बस अपने आप में ही मगरूर रहते हैं। क्या बाबा साहेब से भी ज्यादा डिग्रियाँ आज के नेताओं के पास हैं? बाबा साहेब संत गाडगे बाबा से आंदोलन एवं सामाजिक परिवर्तन के विषय में मंत्रणा करते थे। यद्यपि उनके पास किताबी ज्ञान एवं राजसत्ता दोनो थे। अतः हमें समझना होगा कि सामाजिक शिक्षा एवं किताबी शिक्षा भिन्न हैं और प्रत्येक के पास दोनों नहीं होती। अतः इन दोनों प्रकार की शिक्षा में समन्वय की जरूरत है।

गाडगे बाबा संत कबीर की तरह ही ब्राह्मणवाद, पाखंडवाद और जातिवाद के विरोधी थे। वे हमेशा लोगों को यही उपदेश देते थे कि सभी मानव एक समान हैं, इसलिए एक दूसरे के साथ भाईचारे एवं प्रेम का व्यवहार करो। वे स्वच्छता पर विशेष जोर देते थे। वे हमेशा अपने साथ एक झाड़ू रखते थे, जो स्वच्छता का प्रतीक था। वे कहते थे कि ''सुगंध देने वाले फूलों को पात्र में रखकर भगवान की पत्थर की मूर्ति पर अर्पित करने के बजाय चारों ओर बसे हुए लोगों की सेवा के लिए अपना खून खपाओ। भूखे लोगों को रोटी खिलाई, तो ही तुम्हारा जन्म सार्थक होगा। पूजा के उन फूलों से तो मेरा झाड़ू ही श्रेष्ठ है। यह बात आप लोगों को समझ में नहीं आयेगी।

गाडगे बाबा आजीवन सामाजिक अन्यायों के खिलाफ संघर्षरत रहे तथा अपने समाज को जागरूक करते रहे। उन्होंने सामाजिक कार्य और जनसेवा को ही अपना धर्म बना लिया था। वे व्यर्थ के कर्मकांडों, मूर्तिपूजा व खोखली परम्पराओं से दूर रहे। जाति प्रथा और अस्पृश्यता को बाबा सबसे घृणित और अधर्म कहते थे। उनका मानना था कि ऐसी धारणाएँ धर्म में ब्राह्मणवादियों ने अपनी स्वार्थसिद्धि के लिए जोड़ी है। ब्राह्मणवादी इन्हीं मिथ्या धारणाओं के बल पर आज जनता का शोषण करके अपना पेट भरते हैं। इसीलिए वे लोगों को अंधभक्ति व धार्मिक कुप्रथाओं से बचने की सलाह देते थे।

अन्य संतों की भांति गाडगे बाबा को भी औपचारिक शिक्षा ग्रहण करने का अवसर नहीं मिला था। उन्होंने स्वाध्याय के बल पर ही थोड़ा बहुत पढ़ना-लिखना सीख लिया था। शायद यह डॉ. अम्बेडकर का ही प्रभाव था कि गाडगे बाबा शिक्षा पर बहुत जोर देते थे। उन्होंने शिक्षा के महत्व को इस हद तक प्रतिपादित किया कि यदि खाने की थाली भी बेचनी पड़े तो उसे बेचकर भी शिक्षा ग्रहण करो। हाथ पर रोटी लेकर खाना खा सकते हो पर विद्या के बिना जीवन अधूरा है। वे अपने प्रवचनों में शिक्षा पर उपदेश देते समय डॉ. अम्बेडकर को उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत करते हुए कहते थे कि ''देखा बाबा साहेब अंबेडकर अपनी महत्वाकांक्षा से कितना पढ़े। शिक्षा कोई एक ही वर्ग की ठेकेदारी नहीं हैं। एक गरीब का बच्चा भी अच्छी शिक्षा लेकर ढेर सारी डिग्रियाँ हासिल कर सकता है। बाबा गाडगे ने अपने समाज में शिक्षा का प्रकाश फैलाने के लिए 31 शिक्षण संस्थाओं तथा एक सौ से अधिक अन्य संस्थाओं की स्थापना की। बाद में सरकार ने इन संस्थाओं के रख-रखाव के लिए एक ट्रस्ट बनाया।

गाडगे बाबा डॉ. अम्बेडकर से किस हद तक प्रभावित थे, इसके बारे में चर्चा करते हुए संभवतः संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम दलित अध्यक्ष डॉ. एम.एल. शहारे ने अपनी आत्मकथा 'यादों के झरोखे' में लिखा है कि ''बाबा साहेब अम्बेडकर से गाडगे बाबा कई बार मिल चुके थे। वे बाबा साहेब के व्यक्तित्त्व एवं कृतित्व से प्रभावित हो चुके थे। बाबा साहेब और संत गाडगे बाबा ने एक साथ तस्वीर खिंचवायी थी। आज भी कई घरों में ऐसी तस्वीरें दिखायी देती हैं। संत गाडगे बाबा ने डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर द्वारा स्थापित पिपल्स एजुकेशन सोसाएटी को पंढरपुर की अपनी धर्मशाला छात्रावास हेतु दान की थी। संत गाडगे महाराज की कीर्तन शैली अपने आप में बेमिसाल थी। वे संतों के वचन सुनाया करते थे। विशेष रूप से कबीर, संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर आदि के काव्यांश जनता को सुनाते थे। हिंसाबंदी, शराबबंदी, अस्पृश्यता निवारण, पशुबलिप्रथा आदि उनके कीर्तन के विषय हुआ करते थे।

यह संयोग ही है कि डॉ. अम्बेडकर की मृत्यु के मात्र 14 दिन बाद ही गाडगे बाबा ने भी जनसेवा और समाजोत्थान के कार्यो को करते हुए 20 दिसम्बर, 1956 को हमेशा के लिए आँखें बंद कर लीं। उनके परिनिर्वाण की खबर आग की तरह पूरे महाराष्ट्र में फैल गयी। उनके चाहने वाले हजारों अनुयायियों ने उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की और उनकी अन्तिम यात्रा में सम्मिलित हुए। आज बाबा गाडगे का शरीर हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी शिक्षाएँ आज भी प्रासंगिक हैं, जिससे हमें प्रेरणा लेने की जरूरत है। बाबा का जीवन और कार्य केवल महाराष्ट्र के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे भारत के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

गाडगे बाबा की मृत्यु के बाद 1 मई सन् 1983 ई. को महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर विश्वविद्यालय को विभाजित कर 'संत गाडगे बाबा' अमरावती विश्वविद्यालय, अमरावती, महाराष्ट्र की स्थापना की। उनकी 42वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 20 दिसम्बर, 1998 को भारत सरकार ने उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया। सन् 2001 में महाराष्ट्र सरकार ने अपनी स्मृति में संत गाडगे बाबा ग्राम स्वच्छता अभियान शुरू किया।

वास्तव में गाडगे बाबा एक व्यक्ति नहीं, बल्कि अपने आप में एक संस्था थे। वे एक महान संत ही नहीं, बल्कि एक महान समाजसुधारक भी थे। उनके समाज-सुधार सम्बन्धी कार्यो को देखते हुए ही डॉ. अम्बेडकर ने उन्हें जोतिबा फुले के बाद सबसे बड़ा त्यागी, जनसेवक कहा था, जो उचित ही था। ऐसे महापुरुष को उनके 142 वें जन्मदिवस (23 फरवरी) के शुभ अवसर पर शत-शत नमन।

https://www.forwardpress.in/2017/02/sant-gadge-baba-aur-dr-aambedkar/

***

बिहार : सीवान में मिले बौद्धकालीन संस्कृतियों के अवशेष, पुरातत्व विभाग 22 जनवरी से करा रहा खुदाई

जीरादेई : सीवान जिले के जीरादेई प्रखंड के तितरा टोले बंगरा में पुरातत्व विभाग की खुदाई के दौरान प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। पुरातात्विक विभाग की मानें तो जितनी भी वस्तुएं मिली हैं, वे सभी बौद्धकालीन हैं। इस स्थल से अभी तक भवनावशेष, धूसर मृदभांड, एनबीपीडब्ल्यू (नॉदर्न ब्लैक पॉलिस वेयर) और कुषाणकालीन टेराकोटा (मिट्टी का पकाया हुआ) की बुद्ध की आकृति जैसी खंडित प्रतिमाएं, धूपदानी, खिलौने व हिरन की प्रतिमा मिली है। 22 जनवरी से भारतीय पुरातत्व विभाग पटना अंचल की ओर से सहायक पुरातात्विक शंकर शर्मा के नेतृत्व में तितरा स्थित बाणीगढ़ का उत्खनन किया जा रहा है। अभी तक मिश्रित संस्कृतियों के पुरातात्विक अवशेष मिल रहे हैं, जो काफी प्राचीन प्रतीत होते है।

सोमवार को एनबीपीडब्ल्यू के अवशेष मिले जो बौद्धकालीन बताये जाते हैं। साथ ही कुछ पक्की ईंटें मिली हैं, जो काफी प्राचीन हैं। टेराकोटा से निर्मित दर्जनों अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो कुषाण कालीन बताये जाते हैं। गढ़ से पश्चिम सतह से मिला धूसर मृदभांड (ग्रे वेयर) लगभग 3000 वर्ष पुराना बताया जा रहा है।

होय के यात्रा वृतांत में विशेष उल्लेख

सीवान के बारे में अंग्रेज पुरातत्ववेदा डब्ल्यू होय ने अपने यात्रा वृतांत में विशेष उल्लेख किया है। उन्होंने जीरादेई प्रखंड के राजस्व गांव तितरा टोले बंगरा में स्थित विशाल बौद्धस्तुपनुमा टीला को तितरा स्तूप बताया है। उन्होंने लिखा है कि इसी स्तूप के नाम पर तितरा गांव का नाम पड़ा है। केपी जायसवाल शोध संस्थान, पटना के पूर्व निदेशक डॉ जगदीश्वर पांडेय ने अपने अभिलेख में लिखा है कि तितरा गांव के आसपास एक बहुत बड़ा स्तूप है, जो तितर स्तूप के नाम से जाना जाता है। यह चीनी यात्री ह्वेनसांग द्वारा वर्णित तितर स्तूप प्रतीत होता है, जिसके निकट महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। गढ़ से उत्तर दिशा में स्थित तालाब के पूर्वी किनारे पर प्राचीन भवनावशेष मिला है। उन्होंने बताया कि पक्की ईंटों से निर्मित फर्श युक्त दीवार संरचनाओं की ईंटों का आकार 37 सेंटीमीटर लंबा, 22 सेंटीमीटर चौड़ा और 5.5 सेंटीमीटर मोटा है। दीवाल की चौड़ाई 60 सेंटीमीटर है।

बौद्ध साहित्य में जिक्र

शोधार्थी व प्राचीन कुसिनारा के लेखक कृष्ण कुमार सिंह ने बताया कि त्रिपिटक, बौद्ध साहित्य तथा चीनी तीर्थ यात्रियों फाहियान, ह्वेनसांग, इतिसांग, ताइसांग के यात्रा वृतांत में वर्णित अधिकतर चीजें तितरा के आसपास उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि बुद्ध की अंतिम यात्रा में पावा से कुसनारा जाने के दौरान दो नदी ककुथा व हिरनवती मिली थी, जो सीवान में मौजूद हैं। इनका आधुनिक नाम दाहा व सोना नदी है। त्रिपिटक में वर्णित है कि भगवान बुद्ध का निर्वाण हिरनवती नदी के पश्चिमी किनारे मलों के सालवन में हुआ था। सालवन का मतलब बगवान होता है। इसी का अपभ्रंश बंगरा है। सहायक पुरातत्व वेद शंकर शर्मा ने बताया कि अब तक के उत्खनन में जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, वे मिश्रित संस्कृतियों के हैं। अब तक तीन मीटर से अधिक खुदाई हुई है। इसके अंदर जो अवशेष प्राप्त हो रहे हैं, वह पांचवीं शताब्दी ईसा पूर्व से पांचवीं सदी के बीच की हो सकते हैं।

&https://www.prabhatkhabar.com/news/patna/bihar-siwan-buddhist-cultures-remnants/1120557.html

***

अब समय आ गया है कि दलित, पिछड़े .....

पृष्ठ 1 का शेष

उन्होंने कहा कि जब 1997 में आरक्षण विरोधी अध्यादेश जारी हुए तो उस समय परिसंघ की स्थापना करके इसके विरूद्ध आंदोलन चलाया और संविधान में 81वां, 82वां एवं 85वां तीन संशोधन कराया तब जाकर दलितों को राहत मिली।

उन्होंने आगे कहा कि 1992 में मंडल आयोग की सिफारिशें पूर्व प्रधानमंत्री श्री वी.पी. सिंह के कार्यकाल में लागू हुईं और पिछड़ों को आरक्षण मिला। ज्ञात रहे कि इस पिछड़े वर्ग में अल्पसंख्यक का पिछड़ा तबका भी शामिल है। इस आरक्षण का श्रेय अगर वी.पी. सिंह जी से ज्यादा किसी को जाता है तो वे हैं माननीय कांशीराम, जिन्होंने 28 दिन तक मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कराने के लिए संसद का घेराव किया था और इसी के कारण जब पूरे देश में इसके पक्ष में माहौल बना तो इसी आंदोलन के दबाव में यह अधिकार मिला। अब सरकारी विभागों एवं उपक्रमों का तेजी से निजीकरण हो रहा है तो इससे सबसे बड़ा नुकसान आरक्षण का ही हो रहा है, क्योंकि वहां इसका प्रावधान नहीं है। परिसंघ निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग लगभग एक दशक से करता रहा है। यह लड़ाई सिर्फ दलितों की नहीं है बल्कि इससे पिछड़ों एवं अल्पसंख्यकों को भी फायदा मिलेगा। यदि आज 310 विश्वविद्यालय सरकार के हैं तो इससे ज्यादा निजी क्षेत्र में हैं। हजारों की संख्या में इंजीनियरिंग व मेडिकल कॉलेज निजी क्षेत्र में हैं, जहां आरक्षण नहीं है। वर्तमान में दलितों पर ही नहीं बल्कि पिछड़ों व अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर भी हमला हो रहा है। उन्होंने कहा कि जब संसद में दलित, पिछड़े एवं अल्पसंख्यकों के अन्य सांसदों से मिलता हूं तो हमेशा कहता हूं कि आप लोग अपने अधिकारों को बचाने के लिए लड़ते क्यों नहीं हो तो वे लोग गोल-मटोल जवाब देने लगते हैं, लेकिन उनका असली दर्द मैं भी समझ सकता हूं। दलित, पिछड़े एवं अल्पसंख्यकों के लगभग सभी सांसद एवं विधायक किसी न किसी पार्टी की मेहरबानी से सांसद या विधायक बनते हैं न कि दलितों, पिछड़ों एवं अल्पसंख्यकों के वोट से। जिस दिन दलित, पिछड़े एवं अल्पसंख्यक यह तय कर लेगें कि जो सांसद व विधायक का प्रत्याशी उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ेगा उसी को वोट देगें तो वह संसद या विधान सभाओं में जाकर उन्हीं की बात करेगा। चुनाव के समय दलित और पिछड़े समाज के लोग क्या अपने नेताओं से पूछकर वोट देते है? उस समय तो कोई आस-पास दिखाई भी नहीं पड़ता और स्वतः किस पार्टी को वोट देना है, तय कर लेते है। कोई भाजपा को तो कोई कांग्रेस को तो कोई टी.डी.पी, एन.सी.पी या अन्य पार्टियों को। जब सरकार बन जाती है उस समय कोई अत्याचार होता है तब दलित-पिछड़े नेता याद आते हैं। ये पार्टियां भी जानती हैं कि दलितों-पिछड़ों का समाज उन्हें वोट देता है न कि अपने समाज के नेताओं के कहने पर। ऐसे में इस समाज के सांसद, विधायक, मंत्री मांग रखे भी तो कौन सुनने वाला है? जब वे अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए वहां गए ही नहीं हैं तो उनसे कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वे पार्टियों के लिए काम न करके हमारे अधिकारों के लिए काम करेगें। हमें सांसदों व विधायकों पर जिम्मेदारी डालने के बजाय खुद के अंदर झांककर देखना चाहिए और आंदोलन करना चाहिए। जाटों, पटेलों एवं मराठाओं के आंदोलन का नेतृत्व किसी सांसद व विधायक ने नहीं किया बल्कि समाज ने स्वयं किया। उन्होंने कहा कि मैं सप्ताह में पांच दिन जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनता हूं। उस समय यह नहीं देखता कि वह किस जाति व धर्म से है और मेरे लोक सभा क्षेत्र का है या बाहर का यथोचित उसके निराकरण का प्रयास भी करता हूं। मैं यदि 100 लोगों से मिलता हूं तो 50 कोई न कोई संगठन ही चला रहे होते हैं। मैं जब पूछता हूं कि आप अपनी समस्या का निराकरण नहीं कर पा रहे हैं तो आपके संगठन से जो लोग जुड़े हुए होंगें उनकी समस्या का समाधान कैसे करोगे। वे यही रट लगाने लगते हैं कि मैं तो समाज का बहुत काम कर रहा हूं। मेरी समझ में नहीं आता कि जब इतने लोग सामाजिक कार्यों में लगे हैं तो कोई हल क्यों नहीं निकल पा रहा है। गहन चिंतन के बाद पाया कि ये लोग अपनी तुष्टिकरण के लिए संगठन तो चला रहे हैं लेकिन उससे समस्या का कोई हल नहीं निकल रहा है। हां, यह जरूर होता है कि कभी कभार संगठन के मुखिया को कुछ लाभ हो जाता हो। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए बताया कि आगरा के एक संगठन द्वारा उन्हें प्रतिवर्ष आमंत्रित किया जाता है कि सैकड़ों जोड़ों की शादी करवा रहे हैं, इस सामाजिक काम में आपको जरूर भाग लेना चाहिए। मैं उसमें कभी नहीं गया और जिद करने पर उन्हें समझाया कि भाई ! इससे कौन सा सामाजिक उत्थान हो जाएगा। यदि उनकी शादी नहीं भी कराएंगें तो किसी न किसी तरह वे अपने आप ही हो जाएगी और बच्चे भी पैदा करेगें। उन्होंने कहा कि मध्यकालीन भारत में जब गले में हंडिया और कमर में झाड़ू लटकाकर दलित चलते थे तो उस समय भी वे शादी करते थे और बच्चे भी पैदा करते थे लेकिन उनके बच्चों को अधिकार व सम्मान दिलाने का काम बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने किया। अगर ऐसे सभी छोटे-छोटे संगठनों का एक संगठन राष्ट्रीय स्तर पर तैयार हो और सभी छोटे संगठनों को उनके साथ संबद्धित कर दिया जाए तो अधिकार बचाना कोई मुश्किल नहीं है।

मंच से जन समूह को संबोधित करते हुए डॉ. उदित राज

1947 के बाद जब सभी वर्गों को आरक्षण के कारण प्रतिनिधित्व मिला तो देश को कोई गुलाम बनाने की हिम्मत नहीं जुटा सकता। इससे पहले जातियों में विभाजित देश बार-बार गुलाम बनाया जाता रहा और इसके तरह-तरह के कुतर्क दिए जाते हैं, जैसे - हाथी बिगड़ गए, घोड़ों ने जवाब दे दिया, तोपें नहीं चली, तीर-कमान खराब थे, सेनापति बिक गया, आदि। लेकिन इसका असली कारण जाति व्यवस्था में विभाजित समाज ही था। लॉर्ड क्लाइव जब जहाज से उतरकर कलकत्ता की तरफ चला तो उसकी चंद लोगों की सेना के लोग यहां की जनसंख्या देखकर डर गए। तो उन्हें समझाया गया कि ये जातियों में बंटे हैं और इन्हें अपने काम के अलावा हमले से रोकने का कोई काम नहीं है। देश के लिए जिन लोगां को लड़ने का अवसर नहीं मिला उनमें से बहादुर लोगों को विदेशी किराए पर ले गए और उन्होंने लड़ाइयां जीती।

आज दलितों की ही नहीं बल्कि पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की भी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। प्राथमिक शिक्षा के लिए जिन सरकारी स्कूलों में कोई जाना नहीं पसंद करता वहां पर हमारे बच्चे पढ़ते हैं और तथाकथित सवर्णों के बच्चे निजी शिक्षण संस्थानों में जाते हैं, जहां आधुनिक सुविधाओं की भरमार है और जब उच्च शिक्षा की बात आती है तो उसकी प्रवेश परीक्षा में हमारे बच्चे कैसे उनका मुकाबला कर सकते हैं। आरक्षण ही है, जिसकी बदौलत इन्हें कुछ सीटें मिल जाती हैं। यही हाल सरकारी सेवाओं का भी है। यदि निजीकरण नहीं रुका तो दलितों, पिछड़ों एवं अल्पसंख्यकों के सभी अवसर छिन जाएगें और हम दुबारा से उसी स्थिति में पहुंच जाएंगें।

सम्मेलन में परिसंघ के प्रदेश महासचिव श्री नीरज चक ने घोषणा की कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इससे भी बड़ा सम्मेलन बुलाकर प्रदेश कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। सैकड़ों कार्यकर्त्ताओं ने उक्त अवसर पर डीओएम परिसंघ से जुड़कर कार्य करने की इच्छा जताई।

***

करहल जिला (यूपी) से महिला प्रकोष्ठ की गूँज

जिला मैनपुरी करहल यूपी मुतपा मोट महल मंदिर के पीछे वाले मैदान मे दिनांक 21/02/18 को करहल जिले के अध्यक्ष श्री कल्पेन्द्र भारतीय द्वारा आयोजित कार्यक्रम मे परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉ.उदित व महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय संयोजक श्रीमती सविता कदियान पंवार जी को विशिष्ट अथिति बतौर आमन्त्रित किया। जिसमें माननीय डॉ. उदित राज जी ने जहा समाज को संगठित होने व जागरूक होने का आह्वान किया वही मंच से महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय संयोजक श्रीमती सविता कदियान पंवार ने महिलाओं में अलख जगाने का प्रयास करते हुए कहा और महिलाओं को बताया गया की बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में महिलाओं को संवैधानिक अधिकार तो दिलवा दिये पर असल मायने मे महिलाएं आजाद भी आजाद नहीं हैं न ही उन्हे बराबरी का अधिकार है क्योंकि हमारी बेटिया, महिलाएं ही अपनी आजादी से कतराती हैं उनमे वो हिम्मत नही कि वो अपने खिलाफ होने वाले अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सके और कर जाती हैं। उन्हे अनेक मुश्किलों का सामना करना पडता हैं। वर्तमान मे अनेक ऐसे उदाहर्णो से महिलाओं को सचेत करने की कोशिश की गई। बाता गया की आजादी से कतराने की जरूरत नही वरन अपने पर विश्वास जगाने की जरूरत हैं। आज समाज मे चाहे पढ़ी लिखी महिलाए हो या अनपढ़ दोनो मे ही निर्णय लेने की क्षमता नहीं हैं पढ़ी लिखी महिलाएं समाज के डर से कि उनके निर्णयों पर या उनको स्वछंद विचारों पर समाज क्या कहेगा इस डर से प्रतिकिया देने से डरती है।

मंच से जनसमूह को संबोधित करते हुए सविता कादियान पंवार जी

आज कही न कही कानून बच्चों को 18 वर्ष का होने पर कानून अधिकार दे देता है पर हमारा समाज उन्हे 18 का होने पर भी बालिग नही समझता और ऐसे में लडकियों की तो बेहद ही दिक्कत है हमारे समाज में लडकियों को शुरू से ही कमजोर समझा जाता हैं उन्हे कौन से स्कूल कॉलेज जाना है कौन सा करियर अपनाना है किसके साथ जाना है कब जाना है आदि अनेक सवालों से दो चार होना पडता है । सविता जी ने महिलाओं को जागरूक करते हुए कहा कि हमे अपने भीतर की हिम्मत और स्वाभिमान को जगाना होगा। केवल कानूनी अधिकार का प्रावधान होने से आपको को अधिकार नही मिल जाते। इसलिए आजादी से डरने की जरूरत नही आजादी को पाने की जरूरत है। कार्यक्रम मे औरेया जिले की महिला अध्यक्ष श्रीमती नितिन बौद्ध व कानपूर से माया कोरी सहित बढ़ी संख्या मे महिलाओं कार्यक्रम का हिस्सा बनी ।

-सविता कदियान पंवार
राष्ट्रीय संयोजक
परिसंघ महिला प्रकोष्ठ

दलित दंपति ने किया था हाथ से मैला उठाने से इनकार, मद्रास हाई कोर्ट ने लगाया 25,000 का जुर्माना

एक दलित दंपत्ति ने बतौर मैनुअल स्कैवैंजर काम करने से मना किया तो मद्रास कोर्ट ने उन पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया। मद्रास हाईकोर्ट के इस फैसले से दंपत्ति की मुश्किलें बढ़ गई हैं वहीं ये काम करने से मना करने पर उन्हें जान से मारने की धमकियां भी मिल रही हैं।

चेन्नईः मद्रास हाईकोर्ट ने एक अजीब फैसला सुनाया है। एक दलित दंपत्ति ने बतौर मैनूअल स्कैवैन्जर्स (मैला ढोना) काम करने से मना किया तो मद्रास हाईकोर्ट ने उन पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया। दंपत्ति का कहना है कि कोर्ट ने हमारी एक भी शिकायत नहीं सुनी। उन्होंने बताया कि हम आज भी गुमनाम जिंदगी जी रहे हैं क्योंकि हमें जान की धमकी मिल रही है। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे क्योंकि हमारे पास रुपये नहीं बचे।

मद्रास हाईकोर्ट का कहना है कि जैसे कि स्वीपर/स्कैवेंजर को काम दिया जाता है, उन्हें टॉयलेट भी साफ करना पड़ेगा क्योंकि उनकी नियुक्ति पूरे परिवार के कपड़े जिसके लिए उन्हें पैसा दिया जाता है। जबकि उनकी नियुक्ति घरेलू नौकरानी के तौर पर हुई तो उन्हें पूरे परिवार के कपड़े भी धोने होंगे। उसी तरह स्वीपर यह शिकायत नहीं कर सकता कि उन्हें टॉयलेट साफ करने के लिए बाध्य किया जा रहा है।

कोर्ट के इस फैसले से दलित दंपत्ति की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मैनुअल स्कैवैंजर का काम करने से मना करने के कारण उन्हें जान से मारने की धमकियां भी मिलने लगी हैं। रुपयों की कमी के कारण बच्चों का स्कूल जाना तक बंद हो गया है। दंपत्ति मद्रास हाईकोर्ट से फैसले से बेहद निराश हैं।

क्या है मामलाः अगस्त 2017 में एक वीडियो वायरल हुआ था। अन्ना यूनिवर्सिटी के एक कर्मचारी ने कहा था कि डीन चित्रा सेल्वी जबरन कर्मचारियों से बिना किसी सुरक्षा उपकरण के मैला ढोने का दबाव डालती हैं। इसके अलावा वह अपने घर के निजी काम (जिसमें अपने और पति के अंडरवेयर और घर के टॉयलेट्स शामिल थे) भी करवाती थी। चित्रा अपने पति से उनका यौन शोषण भी कराती थीं। यह वीडियो भारती नाम की एक एक्टिविस्ट ने बनाई थी, जिन्हें धमकी के बाद तमिलनाडु छोड़ना पड़ा। इसके अलावा उन पर पालर समुदाय के खिलाफ होने का आरोप भी लगाया, जिससे चित्रा ताल्लुक रखती हैं।

इस दंपति को कॉलेज में स्वीपर की नौकरी मिली थी और ये कॉन्ट्रैक्ट पर थे। 15 सफाई कर्मचारी भी इस दंपति के साथ कलेक्टर के ऑफिस गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने शिकायत को वापस ले लिया गया। कर्मचारियों ने एक माफीनामा लिखा और वापस कॉलेज काम करने चले गए, लेकिन इस दंपति ने काम करने से इनकार कर दिया।

मद्रास हाई कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा?

जब किसी सफाई कर्मचारी या मेहतर को काम पर रखा जाता है तो उसे उसे टॉयलेट भी साफ करना होगा, क्योंकि उसे सफाई करने की ही तनख्वाह दी जा रही है। इसी तरह अगर किसी मेड या नौकरानी के तौर पर रखा गया है तो उसे कपड़ों के अलावा इनर्स भी धोना होगा। बिलकुल उसी तरह एक सफाई कर्मचारी ये इस बात की शिकायत नहीं कर सकता कि उससे बाथरूम साफ करवाया जा रहा है क्योंकि ये उसका काम है। इस तरह की शिकायत बिलकुल बेबुनियाद है।

https://www.inkhabar.com/state/madras-high-court-fines-25000-to-dalit-couple-as-they-refused-to-work-as-manual-scavenger

***

21 फरवरी 2018 को करहल में परिसंघ की जन सभा

समता समानता और सामाजिक समरसता की आधार शिला रखने बाले संविधान निर्माता बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर के पद चिन्हों पर चल कर एस.सी., एस.टी., ओबीसी और अल्पसंख्यक समाज को एक सूत्र में बांधकर गैर बराबरी, राजनैतिक, सामाजिक, समानता की लड़ाई लड़ने के लिए डॉ. उदित राज अगुवाई में डी. ओ.एम. (दलित, ओबीसी एवं माइनॉरिटी) परिसंघ के बैनर तले विशाल सभा का आयोजन जिला अध्यक्ष मैनपुरी कल्पेन्द्र भारतीय द्वारा तहसील व कस्बा करहल मोटामल मन्दिर के प्रांगण में किया गया।,सात दशक आज़ादी के बाद भी एस.सी., एस.टी., ओबीसी के बीच अस्पृश्यता, बैरोजगारी और गैर बराबरी जैसी की तैसी दिखाई दे रही है। लेकिन संविधान में दिये गये आरक्षण को समस्त करने के षडयन्त्र को समूल नष्ट करने की डॉ. उदित राज सांसद, दिल्ली के हाथ मजबूत करने के लिए फिरोजाबाद, इटावा, फर्रुखाबाद, औरैया, एटा, मैनपुरी जनपदों में प्रभारी टीमों का प्रतिनिधित्व करने वाले कार्यकर्ताओं ने परिसंघ की जिला, विधानसभा तहसील और ब्लाक स्तर पर जुझारु टीमों का गठन आरक्षण की लड़ाई लड़ने का संकल्प लेकर कार्य पूर्ण कर लिया है। जिसका प्रमाण आगामी चुनावों में दिखाई देगा।

मुख्य अतिथि डॉ. उदित राज जी ने संवैधानिक अधिकार की सुरक्षा हेतु उन सभी अनुसूचित जातियों का आवाहन किया जिनको एस.एसी का 1 प्रतिशत लाभ नहीं मिला सका और न ही एस.सी. माना गया है बाल्मीकि धोबी धानुक, खटीक, नट, बंजारा, कंझड़ जैसी अनेक जातियों को न तो सामाजिक समानता मिली और न ही राजनैतिक अधिकार इसी प्रकार ओबीसी में ऐसी हजारों जातियां हैं जिन्हें ओबीसी का कोई हक प्राप्त नहीं हो सका है। आरक्षण की रक्षा करते हुए समता और समानता की जंग लड़ने का ऐलान किया। उपस्थित भीड़ ने तालियों की गड़गड़ाहट से डॉ. उदित राज संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ है का नारा लगाकर उनका भव्य स्वागत किया।

परिसंघ के तत्वाधान में 21 फरवरी 2018 को आरक्षण की रक्षा–सामाजिक सुरक्षा को लेकर सभा का आयोजन करहल मैनपुरी में हुआ। जिसमें डी.ओ.एम. परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. उदित राज ने भाग लिया, इनके अलावा परिसंघ महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय संयोजिका सविता कादियान पंवार, मैनपुरी चैयरमैन प्रतिनिधि लक्ष्मण कुमार, मैनपुरी व्यापार मण्डल के जिला अध्यक्ष संजीव यादव, भगवानदास भांखवार (प्रदेश महामंत्री अ. भा. कोरी समाज), परिसंघ प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार कमल, प्रदेश महासचिव नीरज चक उपस्थित थे। डॉ. उदित राज ने अपने अभिभाषण में कहा कि आरक्षण की जंग के बिना सामाजिक चेतना की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती और न ही जीती जा सकती है। कुछ रजनीतिक आरक्षण को देश हित में बाधक ठहराने का काम करते हैं। देश में सामाजिक विषमता के साथ बड़ी आर्थिक विषमता भी है। देश में अमीर और गरीब के पीछे की खाई बढ़ती जा रही है। सबसे बुरा प्रभाव दलित ओबीसी और अल्संख्यक समुदायों पर पड रहा है। जिला व्यापार मण्डल के अध्यक्ष संजीव यादव ने कहा कि दलित पिछड़े और वंचित तबका सदियों से शोषण का शिकार रहा है। आरक्षण का मकसद इस तबके के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक उत्थान में मदद करना है। इनके अलावा सविता कादियान पंवार, सुशील कुमार कमल, नीरज चक, भगवानदास भांखवार, रामखिलाडी वर्मा, मनोज (सभासद) आदि लोगों ने अपने विचार प्रस्तुत किये कार्यक्रम की अध्यक्षता राजवीर ने की और अपने अध्यक्षीय भाषण में समाज को एकजुट रहने का संदेश दिया और कार्यक्रम संचालन अरविन्द कुमार ने किया कार्यक्रम का सफल आयोजन जिला अध्यक्ष कल्पेन्द्र भारतीय के नेतृत्व में किया गया और वहाँ उपस्थित लोगों में बृजनारायण, बृह्मानन्द, आशू, राकेश, सौरभ, कौशलेन्द्र, अभिषेक आदि लोग थे।

अन्तः में समाप्ति राजवीर सिंह राज ने सभी आगन्तुकों का आभार ज्ञापित कर धन्यवाद दिया।

असली आबेडकरवादी भारत का मुसलमानः अंसारी ने छेड़ी नई बहस

नई दिल्ली, 27 फरवरी, वतन समाचार ब्योरोः कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर और एस.सी आयोग के पूर्व समन्वयक (कोऑर्डिनेटर) डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी ने देश के मुसलमानों को असली अंबेडकरवादी बता कर एक नई बहस को जन्म दे दिया है। उन्होंने कहा कि अगर मुसलमान न होते तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कभी भी संसद नहीं पहुंच सकते थे।

डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी ने बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पूरे जीवन में दो बार लोकसभा जाने की कोशिश की और उस के लिए चुनाव भी लड़ा लेकिन उन्हें नाकामी मिली। उन्होंने कहा कि बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि बाबा साहब पहली बार दूसरे नंबर पर जबकि दूसरी बार तीसरे नंबर पर गए और बाबा साहब को पराजय का सामना करना पड़ा।

डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी ने बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अगर संसद नहीं पहुंचते तो वह संविधान सभा के अध्यक्ष क्या सदस्य भी नियुक्त नहीं हो सकते थे। डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी ने कहा कि 15 जुलाई 1946 को बंगाल के उस वक्त के वजीर-ए-आजम (ज्ञात रहे कि उस वक्त राज्यों के प्रधानमंत्री हुआ करते थे) हुसैन शहीद सहर-वर्दी ने बंगाल असेंबली से डॉक्टर अंबेडकर को चुनकर राज्यसभा भेज दिया।

डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी ने कहा कि अक्सर दलितों या अंबेडकरवादियों की बातें तो होती हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो असली अंबेडकरवादी हैं और जिन लोगों ने दलितों के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानी दी यानी मुसलमान उन्हें भुला दिया जाता है। डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी ने कहा कि हमें इतिहास के पन्ने खंगालने होंगे तभी सच सामने आएगा। डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी ने बताया कि नवंबर 1927 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सर जॉन एल्सब्रूक साइमन के नेतृत्व में एक कमीशन का गठन किया था जिसका मकसद भारत में कांस्टीट्यूशनल रिफॉर्म था।

उन्होंने बताया कि इसी कमीशन ने दलितों और शूद्रों की हालत में बड़े पैमाने पर बदलाव किया। डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी ने बताया कि इतिहास इस बात का साक्षी है कि सर जॉन एल्सब्रूक साइमन के लंदन पहुंचने के बाद बुलाई गई पहली गोल मेज ब्वदमितमदबम में मुसलमानों पर इस बात का दबाव था कि वह डॉक्टर बी आर अंबेडकर के बुलाए जाने का विरोध करें। डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी ने बताया कि गांधी जी ने एक सादे पन्ने पर दस्तखत करके मुसलमान नेताओं के सामने यह प्रस्ताव रखा था कि वह अपना हर मुतालबा (डिमांड) इसमें लिख दें और उन्हें मान लिया जाएगा, इस शर्त के साथ कि डॉक्टर बी.आर.अंबेडकर के गोलमेज कांफ्रेंस में बुलाए जाने का विरोध करें।

उन्होंने बताया कि पूरी मुस्लिम नेतृत्व ने गांधीजी की इस बात को तस्लीम नहीं किया और उन्होंने अंबेडकर के बुलाए जाने का विरोध नहीं किया। डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी ने बताया कि अगर उस वक्त मुसलमान विरोध कर देते तो दलितों और शूद्रों की हालत में जो बदलाव आए हैं वह कभी ना आते। उन्होंने बताया कि उस वक्त अंग्रेज मुसलमान और हिंदू यह तीन पक्ष हुआ करते थे। क्योंकि अंग्रेज शूद्रों की हालत में बदलना चाहता था, जिसके लिए उसने साइमन कमीशन का गठन किया था और दूसरी तरफ उसको मुसलमानों का समर्थन मिल रहा था इसलिए 2/3 से उसे शूद्रों और दलितों की हालत बदलने में मदद मिली।

डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी ने बताया कि पहली गोलमेज कांफ्रेंस (1930) का इसीलिए गांधीजी ने बाईकाट भी किया था, जबकि मदन मोहन मालवीय और दूसरे लोग इसमें शामिल हुए थे। उन्होंने बताया कि उसके बाद दूसरी गोलमेज कांफ्रेंस बुलाई गई जिसमें गांधीजी की तकरीर पढ़ने के लायक है और मैं अपनी युवा-पीढ़ी से अनुरोध करुंगा कि वह इस तकरीर को जरूर पढ़ें। उन्होंने बताया कि इसमें यह प्रस्ताव आया कि हिंदुओं में से अछूतों और शूद्रों का हिस्सा अलग कर दिया जाए। मुसलमान अछूत-शूद्र (दलित) और हिंदू इस तरह से 3 पक्ष हो गए, जिसके खिलाफ गांधीजी ने पुणे में आमरण अनशन किया और डॉ भीमराव अंबेडकर को उस पर हस्तक्षेप हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया, जिसे दुनिया पूना पैक्ट के नाम से जानती है।

डॉ. ताजुद्दीन अंसारी ने बताया कि जिस वक्त पूना पैक्ट पर डॉ. भीमराव अंबेडकर हस्ताक्षर कर रहे थे उस वक्त उनकी आंखें नम थी। और आंखों से आंसू टपक रहे थे। वह खुद यह कहने पर मजबूर हुए कि जो कुछ उन्होंने लंदन में हासिल किया था उसे आज गवां दिया।

http://watansamachar.com/indian-muslim-are-real-ambedkar-wadi-dr-tajuddin-ansari-attack-on-manuwadi-system-modi-rss/

पेरियारः महिलाओं की आजादी का पक्षधर मसीहा

महिला दिवस पर विशेष

ललिता धारा

पेरियार की मूर्ति को नुकसान पहुंचना समतावादी आंदोलन और विचार के प्रति प्रतिगामियों के गुस्से की बानगी है। आइये आज महिला दिवस पर समझते हैं कि पेरियार किस तरह जेंडर–स्वतन्त्रता के बड़े पक्षधर थे।

तमिलनाडू में 20वीं सदी के गैर–ब्राह्मण द्रविड़ आन्दोलन का लम्बा और उथल–पुथल से भरा इतिहास था। इसकी शुरुआत 1916 में जारी गैर–ब्राह्मण घोषणापत्र से मानी जा सकती है। इस अवधि में महिलाओं की स्थिति और जाति व्यवस्था से सम्बंधित सुधार हुए तो परन्तु वे बहुत सीमित थे। सन 1917 में गैर–ब्राह्मणों की राजनीतिक और शैक्षणिक बेहतरी के लिए 'जस्टिस पार्टी' का गठन किया गया। सन 1920 के प्रांतीय चुनावों में यह पार्टी सत्ता में आयी और तमिलनाडू में पहली बार गैर–ब्राह्मण सरकार बनी। ईव्ही रामासामी, जिन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता है, इतिहास के इसी दौर के प्रमुख पात्र थे। पेरियार की नेतृत्व क्षमता सन 1925 में शुरू हुए आत्माभिमान आन्दोलन में सामने आयी। इस आन्दोलन का लक्ष्य था गैर–ब्राह्मण जातियों को उनके द्रविड़ मूल पर गर्व करना सिखाकर उन्हें एक सूत्र में पिरोना। आन्दोलन के मूल सिद्धांत थे। ईश्वर, धर्म, कर्मकांडों व जाति का नकार। पेरियार ने इसमें एक और सूत्र जोड़ा पितृसत्तामकता का नकार! आत्माभिमान आन्दोलन का अंतिम लक्ष्य था जाति–मुक्त समाज का निर्माण। इसके लिए उसे जाति व्यवस्था की सभी संरचनाओं से मुकाबला करना पड़ा। इनमें शामिल थीं ब्राह्मणवादी हिन्दू धर्म और ब्राह्मणवादी पितृसत्तामकता. पेरियार के संघर्ष की सबसे प्रमुख विशेषता यह थी कि अपने जीवन में उन्होंने इन सभी संस्थाओं से अलग–अलग समय पर व्यक्तिगत स्तर पर लोहा लिया। हर लड़ाई अलग–अलग तरीकों से लड़ी गयी. पेरियार ने जहाँ ब्राह्मणवादी हिन्दू धर्म के विरुद्ध लड़ाई में तार्किकता को अपना हथियार बनाया वहीं पितृसत्तामकता का विरोध उन्होंने इस अपने इस दृढ विश्वास के आधार पर किया कि महिलाएं अपने आप में स्वतंत्र है और किसी के अधीन नहीं हैं।

अपने पूर्ववर्ती उच्च जातियों के समाज सुधारकों – जो महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर पितृसत्तामकता के मूल ढ़ांचे को चुनौती दिए बगैर विचार करते थे – के विपरीत, पेरियार ने एकपत्निक परिवार और सतीत्व के मानकों को चुनौती दी, जो महिलाओं को गुलाम बनाते थे। चूँकि विवाह, महिलाओं के दासत्व का प्रतीक था, इसलिए उन्होंने जोर देकर कहा कि विवाह की संस्था को ही समाप्त कर दिया जाना चाहिए। पेरियार ने 1929 में आत्माभिमान विवाह (सेल्फ–रिस्पेक्ट मैरिज या एसआरएम) की जिस अवधारणा का विकास और प्रतिपादन किया, वह एक अनूठा मास्टर स्ट्रोक था। यह अवधारणा विवाह को दो व्यक्तियों के

पेरिया जी के साथ उनकी पत्नी श्रीमती कन्नामल

बीच एक ऐसे समझौते के रूप में देखती थी, जिसमें जाति, वर्ग या धर्म के लिए कोई जगह नहीं थी और जिसके लिए न तो पुरोहितों की आवश्कता थी और न ही अभिवावकों की सहमति की। इसमें विवाह सदा के लिए पवित्र बंधन न होकर दो समकक्ष व्यक्तियों के बीच समझौता था, जिसे दोनों में से कोई भी पक्ष जब चाहे समाप्त कर सकता था। विवाह स्वर्ग में ईश्वर द्वारा नहीं वरन धरती पर दो व्यक्तियों द्वारा परस्पर समझौते से निर्धारित किये जाते थे। आत्माभिमान विवाहों के मूल में थी लैंगिक समानता और अपने निर्णय स्वयं लेने का अधिकार। यह विचार और सोच के क्षेत्र में एक क्रांति और जागरूकता व आत्म–चेतना की एक लम्बी छलांग थी। कुल मिलाकर, पेरियार ने एक नयी महिला और एक नए पुरुष का सृजन किया।

पेरियार के जन्म के चार दशक पूर्व, फुले दम्पती ने महाराष्ट्र के पुणे में 'सत्यशोधक विवाह संस्कार' के नाम से एक क्रंतिकारी सोच प्रस्तुत की थी। इन विवाहों में कोई पंडित नहीं होता था और हिन्दू धार्मिक मंत्रों की जगह, वर और वधु, अपने लिए निर्धारित धर्मनिरपेक्ष मंत्रों का स्वयं जाप करते थे। इन मंत्रों में कोई लैंगिक भेदभाव नहीं था। यद्यपि पेरियार ने फुले का नाम भी नहीं सुना था, तथापि उन्होंने फुले के काम को ही आगे बढ़ाया। आत्माभिमान विवाह समारोहों की अध्यक्षता पेरियार स्वयं करते थे और इससे उन्हें अपने स्त्रीवादी विचारों का प्रसार करने का मौका मिलता था। स्त्री–पुरुष संबंधों का कोई ऐसा पक्ष नहीं था जो उनकी नजरों से छूटा हो। वे महिलाओं को सेक्स व प्रजनन के मामलों में असीमित व बिना शर्त स्वतंत्रता दिए जाने के हामी थे। उन्होंने पित्रसत्तामकता के ध्वंस के लिए वह सब कुछ किया जो वे कर सकते थे। सोये हुए समाज को झकझोर कर उठाने के लिए उत्तेजक बयान देने में उन्हें विशेषज्ञता हासिल थी। एक बानगी देखियेरू ''अगर इससे उनकी स्वतंत्रता में बाधा पड़ती हो तो महिलाओं को बच्चों को जन्म देना बंद कर देना चाहिए''। वे बिना लागलपेट के कहते थे कि जब तक 'पितृसत्तात्मक पुरुषत्व' है तब तक महिलाएं स्वतंत्र नहीं हो सकतीं। वे चाहते थे कि 'सतीत्व' और 'चरित्र' जैसे मानक या तो महिला और पुरुष दोनों पर लागू होने चाहिए या किसी पर भी नहीं। उनका कहना था कि माता–पिता को अपनी लड़कियों का पालनपोषण उसी तरह करना चाहिए जैसा कि वे लड़कों का करते हैं। यहाँ तक कि लड़कों और लड़कियों के नाम और उनका पहनावा भी एक जैसे होने चाहिये और लड़कियों को मुक्केबाजी और कुश्ती जैसों खेलों का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

जहाँ तक महिलाओं के लिए गर्भनिरोधकों के इस्तेमाल का सवाल है, उनकी मान्यता थी ये महिलाओं को स्वतंत्रता और उनके जीवन पर अधिकार देने के उपकरण हैं। पेरियार की यह सोच, उनके समकालीन अन्य सुधारकों से एकदम अलग थी जो यह मानते थे कि महिलाओं के लिए गर्भनिरोधक उपायों का इस्तेमाल परिवार, समुदाय और राष्ट्र के हित में होना चाहिए। पेरियार का यह मानना था कि केवल और केवल महिलाओं को यह तय करने का अधिकार है कि वे बच्चे चाहतीं हैं या नहीं, यदि हां तो कब और विवाह बंधन के अन्दर या उसके बाहर। उन्होंने अपने ये विचार अलग–अलग भाषणों और लेखों में व्यक्त किये और इन्हें संकलित कर एक पुस्तिका की शक्ल में प्रकाशित किया गया, जिसका शीर्षक था, 'व्हाई द वुमन वाज एनस्लेव्ड' (महिला क्यों गुलाम बनी)। वे उस काल में क्रांतिकारी स्त्रीवाद की भाषा में बात करते थे, जब पश्चिम के स्त्रीवादियों की दूसरी लहर ने इस शब्द को गढ़ा ही नहीं था।

आत्माभिमान विवाहों के अतिरिक्त, आत्माभिमान सम्मेलनों और युवा सम्मेलनों में भी पेरियार ने लैंगिक मुद्दों पर अपने विचार रखे। इन आयोजनों में पारित प्रस्ताव, महिला–समर्थक और लैंगिक न्याय पर आधारित हुआ करते थे। इस आन्दोलन का एक अनूठा पक्ष यह था कि महिलाएं केवल महिला सम्मेलनों में ही नहीं, बल्कि सामान्य आत्माभिमान सम्मेलनों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं। उनकी आयोजन में तो भूमिका होती ही थी, वे सम्मेलनों की अध्यक्षता भी करती थीं और प्रस्ताव भी प्रस्तुत करती थीं। आन्दोलन की महिला कार्यकर्ता, जाति और पितृसत्तामकता के परस्पर अन्योन्याश्रित संबंधों से अनभिज्ञ नहीं थीं। वे ब्राह्मणों के जातिगत दमन और पुरुषों के लैंगिक दमन को सदृश पाती थीं। वे यह मानती थीं कि धर्म, जातिगत और लैंगिक असमानताओं को वैध व औचित्यपूर्ण ठहरता है। आन्दोलन के साहित्य में उन्होंने अपने इन विचारों को स्वर दिया। ईवी रामासामी को 'पेरियार' या महान की उपाधि मद्रास में 1938 में आयोजित तमिलनाडू विमेंस कांफ्रेंस में दी गयी। पेरियार घर और सार्वजनिक जीवन दोनों में महिलाओं को किसी घेरे में बंद रखने के हामी नहीं थे। वे जो कहते थे, वह करते भी थे। उन्होंने अपनी 13 वर्षीय नवविवाहिता पत्नी नगम्मल को उसकी 'थाली' या मंगलसूत्र का त्याग करने के लिए राजी किया. वे अपनी पत्नी से कहते थे कि वे उन्हें कामरेड कहकर संबोधित करें और जिन भी सभा–सम्मेलनों में वे जाते, उनकी पत्नी उनकी साथ होतीं थीं। उन्होंने ठीक यही व्यवहार अपनी बहन कन्नामल के साथ भी किया। यहाँ तक कि जब गांधीजी ने सन 1921 में शराबबंदी के समर्थन में ताड़ी की दुकानों पर धरना देने का आव्हान किया, तब इरोड में आन्दोलन का नेतृत्व नगम्मल और कन्नामल ने किया। इस सबके के बावजूद, सन 1933 में अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद उन्होंने इस बात पर गहन खेद व्यक्त किया कि वे अपने वैवाहिक जीवन में अपनी स्त्रीवादी विचारों का एक छोटा सा अंश भी लागू नहीं कर सके।

पेरियार के जीवन की एक अन्य महत्वपूर्ण घटना थी सन 1949 में 70 वर्ष की आयु में अपने से चालीस वर्ष छोटी मनिअम्मै से उनका पुनर्विवाह। मनिअम्मै छह वर्ष से उनकी निजी सचिव थीं। इस विवाह के लिए उनकी घोर निंदा और भर्त्सना हुई। परन्तु वे अविचलित रहे। पेरियार ने कहा कि उन्होंने यौन सुख के लिए विवाह नहीं किया है और यह भी कि यौन सुख प्राप्त करने के लिए विवाह करना आवश्यक भी नहीं है। उन्होंने कहा कि विवाह के पीछे उनका उद्देश्य अपनी वैचारिक, सांगठनिक और भौतिक विरासत को सुरक्षित हाथों में सौंपना है ताकि उनका काम आगे बढ़ सके। उन्होंने रुढ़ीवाद के खिलाफ अपनी लम्बी और अथक लड़ाई की विरासत एक युवा महिला को सौंपी। यह स्त्रीवाद के प्रति उनकी आचरणगत प्रतिबद्धता का सबसे बड़ा प्रमाण था।

http://www.streekaal.com/2018/03/Periyar-a-messiah-of-woman-emancipation.html

पाठकों से अपील

'वॉयस ऑफ बुद्धा' के सभी पाठकों से निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक वार्षिक शुल्क/शुल्क जमा नहीं किया है, वे शीघ्र ही बैंक ड्रॉफ्ट द्वारा 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के नाम से टी–22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001 को भेजें। शुल्क 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के खाता संख्या **0636000102165381** जो पंजाब नेशनल बैंक की जनपथ ब्रांच में है, सीधे जमा किया जा सकता है। जमा कराने के तुरंत बाद इसकी सूचना ईमेल, दूरभाष या पत्र द्वारा दें। कृपया 'वॉयस ऑफ बुद्धा' के नाम ड्राफ्ट या पैसा न भेजें और मनीआर्डर द्वारा भी शुल्क न भेजें। जिन लोगों के पास 'वॉयस ऑफ बुद्धा' नहीं पहुंच रहा है, वे सदस्यता संख्या सहित लिखें और संबंधित डाकघर से भी सम्पर्क करें। आर्थिक स्थिति दयनीय है, अतः इस आंदोलन को सहयोग देने के लिए खुलकर दान या चंदा दें।

सहयोग राशिः

पांच वर्ष : 600 रुपए

एक वर्ष : 150 रुपए

विज्ञान जगत की विलक्षण प्रतिभा

हॉकिंग ने न केवल विज्ञान के जटिल रहस्यों को सामने रखा, बल्कि लोगों को शारीरिक अक्षमता से जूझना भी सिखाया

शशांक द्विवेदी

वैज्ञानिक समझ और अपनी असाधारण जिजीविषा के लिए विख्यात महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का निधन पूरी दुनिया के लिए अपूरणीय क्षति है। भले ही उनके जीवन पर विराम अब लगा हो, लेकिन उनकी पूरी जिंदगी ही मौत को चुनौती देते हुए ही बीती। महज 22 साल की उम्र में उन्हें मोटार न्यूरॉन नामक लाइलाज बीमारी हो गई थी जिसकी वजह से उनके शरीर ने धीरे-धीरे काम करना बंद कर दिया। तब डॉक्टरों ने कहा था कि हॉकिंग दो साल से ज्यादा जीवित नहीं रह पाएंगे, लेकिन उन्होंने न केवल डॉक्टरों की उस आशंका को धता बता दिया, बल्कि विज्ञान के जटिल और गूढ़ रहस्यों को दुनिया के सामने रखा। हॉकिंग ने ब्लैक होल और बिग बैंग सिद्धांत को समझाने में अहम योगदान दिया। कई बड़े पुरस्कारों के साथ ही उन्हें अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दिया गया। उनकी मशहूर पुस्तक 'ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम' कालजयी किताबों में शामिल की जाती है। वह कैंब्रिज यूनिवर्सिटी में सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान के निदेशक थे। उनकी गिनती आइंस्टीन के बाद सबसे विद्वान भौतिकशास्त्री के तौर पर होती है। हैरानी की बात यह थी कि उनके दिमाग को छोड़कर शरीर का कोई भी भाग पूरी क्षमता से काम नहीं करता था। इसकी वजह से वह हमेशा व्हीलचेयर पर कंप्यूटर और विभिन्न तरह के गैजेट्स के जरिये ही अपने विचार व्यक्त करते थे।

उनकी सबसे प्रमुख उपलब्धियों में ब्लैक होल का उनका सिद्धांत है। ब्लैक होल के संबंध में हमारी वर्तमान समझ हॉकिंग के सिद्धांत पर ही आधारित है। वर्ष 1974 में 'ब्लैक होल इतने काले नहीं' शीर्षक से प्रकाशित हॉकिंग के शोध पत्र ने सामान्य सापेक्षता सिद्धांत और क्वांटम भौतिकी के सिद्धांतों के आधार पर यह दर्शाया कि ब्लैक होल अल्प मात्र में विकिरण उत्सर्जित करते हैं। हॉकिंग ने यह भी प्रदर्शित किया कि ब्लैक होल से उत्सर्जित होने वाला विकिरण क्वांटम प्रभाव के कारण धीरे-धीरे बाहर निकलता है। यह हॉकिंग विकिरण प्रभाव कहलाता है। इस विकिरण प्रभाव के कारण ब्लैक होल अपना द्रव्यमान धीरे-धीरे खोने लगते हैं और उनमें ऊर्जा का भी क्षय होता है। यह प्रक्रिया लंबे अंतराल तक चलने के बाद आखिरकार ब्लैक होल वाष्पन को प्राप्त होते हैं। विशालकाय ब्लैक होल से कम मात्र में विकिरण का उत्सर्जन होता है, जबकि लघु ब्लैक होल बहुत तेजी से विकिरण का उत्सर्जन करके वाष्प बन जाते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति शुरू से ही वैज्ञानिक समुदाय के लिए जिज्ञासा का विषय रही है। सभी को यह तो पता है कि ब्रतांड की उत्पत्ति लगभग 13.8 अरब साल पहले बिग बैंग से हुई, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि ब्रह्मांड से पहले क्या था? हॉकिंग ने दावा किया कि बिग बैंग से पहले सिर्फ एक अनंत ऊर्जा और तापमान वाला एक बिंदु था। हॉकिंग के अनुसार हम आज समय को जिस तरह महसूस करते हैं, ब्रह्मांड के जन्म से पहले का समय ऐसा नहीं था। इसमें चार आयाम थे। उन्होंने बताया था कि भूत, भविष्य और वर्तमान को तीन समानांतर रेखाएं समझे तो उस वक्त एक और रेखा भी मौजूद थी जो ऊर्ध्वाधर थी। उसे आप काल्पनिक समझ सकते हैं, लेकिन हॉकिंग ने काल्पनिक समय को हकीकत बताया। उनका कहना था कि काल्पनिक समय कोई कल्पना नहीं है, बल्कि यह हकीकत है। हां आप इसे देख नहीं सकते, लेकिन महसूस जरूर कर सकते हैं।

ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के लिए 'ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम' के अलावा भी उन्होंने, द ग्रैंड डिजाइन, यूनिवर्स इन नटशेल, माई ब्रीफ हिस्ट्री, द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग जैसी कई महत्वपूर्ण किताबें लिखीं। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगता है कि जब पिछले साल कैंब्रिज विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उनकी पीएचडी का शोध पत्र अपलोड किया गया तो कुछ ही समय में साइट ठप हो गई, क्योंकि एक ही वक्त में तमाम लोग उस शोध को डाउनलोड करने में जुटे थे। इसे एक दिन में पांच लाख से ज्यादा बार डाउनलोड किया गया और कुछ ही दिनों में इसे 20 लाख बार देखा गया। लोगों में किसी वैज्ञानिक के प्रति ऐसी दीवानगी शायद ही कभी देखी गई हो। हॉकिंग ने 134 पन्नों का यह दस्तावेज तब लिखा था जब उनकी उम्र 24 वर्ष थी और वह कैंब्रिज में स्नातकोत्तर के छात्र थे। साइट पर आने से पहले 65 पाउंड खर्च करने के बाद ही हॉकिंग के शोध तक पहुंचा जा सकता था।

धरती को बचाने की उनकी चिंता भी सुर्खियों में रही। जलवायु परिवर्तन को वह गंभीर खतरा मानते थे। उन्होंने चेताया था कि अगर मानव ने अपनी आदतें नहीं सुधारीं तो बढ़ती आबादी का बोझ पृथ्वी को लील जाएगा। उन्होंने यह भी चेतावनी दी थी कि तकनीकी विकास के साथ मिलकर मानव की आक्रामकता ज्यादा खतरनाक हो गई है। यही प्रवृत्ति परमाणु या जैविक युद्ध के जरिये हम सबका विनाश कर सकती है। उनका कहना था कि कोई वैश्विक सरकार ही हमें इससे बचा सकती है, वरना एक दिन मानव जाति ही विलुप्त हो जाएगी। हॉकिंग ने कुछ समय पहले जिंदगी में तकनीक के बढ़ते दखल पर चिंता जताते हुए कहा था कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बहुत उत्साहित हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी इसे इंसानी सभ्यता के इतिहास की सबसे खराब घटना के तौर पर याद करेगी। उनके अनुसार तकनीक के इस्तेमाल के साथ-साथ हमें उसके संभावित खतरों को भी भांपना चाहिए। उनका कहना था कि मनुष्य को पृथ्वी को छोड़कर किसी नए ग्रह पर बसने की तैयारी करनी चाहिए। उन्होंने ईश्वर की सत्ता को नकारा था। माना जाता है कि उनकी प्रेरणा से दुनिया भर में लाखों छात्र विज्ञान पढ़ने के लिए प्रेरित हुए।

हॉकिंग जीने की इच्छा और चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए भी हमेशा एक मिसाल के रूप में याद किए जाएंगे। वह अपने अनूठे हास्यबोध के लिए भी जाने जाएंगे और इसके लिए भी कि उन्होंने साहस के साथ यह साबित किया कि मृत्यु निश्चित है, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि जीवन और मरण के बीच अपनी जिंदगी को क्या दिशा दें। हम खुद को मुश्किलों से घिरा पाकर निराशावादी नजरिये के साथ मौत का इंतजार करें या जीने की इच्छा और चुनौतियों को स्वीकार करते हुए अपने सपनों के प्रति समर्पण के साथ एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जिएं? उन्होंने शारीरिक अक्षमता को दरकिनार करते हुए प्रमाणित किया कि अगर व्यक्ति में इच्छाशक्ति हो तो वह बहुत कुछ हासिल कर सकता है। उनका जीवन हमेशा लोगों को प्रेरणा देता रहेगा।

–दैनिक जागरण से सभार

***

Republics for Kshatriyas

Ancient regimes in India were far from democratic, had little place for other castes

D.N. Jha

In his article, 'Denying Nehru his due,' Ashutosh Varshney (IE, February 14) has rightly contested the assertion of Prime Minister Narendra Modi that democracy is integral to the Indian nation and that there are many examples of its rich democratic traditions dating back to centuries. Modi's braggadocio is inspired by the obsolete ideas of the historians who frequently spoke of ancient Indian "republican" polities before Independence as part of their project to unduly glorify ancient India and to explode the colonial myth of Indian despotism.

These polities existed in the Indus basin where they were survivors of the early Vedic tribes, and in the Himalayan foothills in eastern Uttar Pradesh or Bihar, where, inspired by the tradition of a varna-less egalitarian society un-oppressed by the hereditary monarchies in the remote past, they emerged as a reaction to the steadily growing Vedic orthodoxy.

This is borne out by the legendary account of the origin of the Shakyas, the tribe to which Gautama Buddha belonged. They are said to have descended from the Koshalan royal family which expelled its members — four brothers and four sisters — who went to the sub-Himalayan region where they married among themselves so as to maintain their purity of blood. The founders of the so-called republics broke away from their parent stock and moved to new areas. This may have been the case with Videha and Vaishali, which were monarchies transformed into "republics".

The chief feature of the "republican" governments was their public assembly (santhagara) attended by the representatives of the tribes and the heads of the families and presided over by one of the representatives called the raja or senapati. All important issues were placed before and discussed by the assembly where decisions were taken unanimously. This has given rise to the much trumpeted notion of a republican tradition of ancient India and may have been the basis of PM Modi's boastful statement.

But knowledge of history has never been a strong point of the RSS from whose ranks Modi has risen to become the prime minister. Had he any familiarity with ancient Indian history he would have known that the tribal assembly (santhagara) was dominated by oligarchs and that non-Kshatriyas, slaves and wage earners had no place in it. Members of the assembly bore the title raja or king; in the case of the Licchavis 7,707 rajas, all Kshatriyas, sat in the assembly and the head of their state was a senapati, the term denoting commander in a monarchy. Far from being a democracy, the Licchavi state was an oligarchy.

Further, the strict control exercised by the "republican" states through executive edicts and legislation exposes their undemocratic character. When, for instance, the Buddha visited the city of Pava, the Mallas, another contemporary "republican" tribe issued a decree that a general welcome should be accorded to him and any defaulter would have to pay a heavy fine. According to a Buddhist Jataka story there was a ban among the Shakyas on the marriage of girls even with a king of supposedly low status.

The gana of Vaishali formulated a rule which related to the marriage of girls in different wards of the city. Similarly, inter-dining among the people of unequal birth was also prohibited. Rules such as these were no better than those evolved by the Brahmin authors of the Dharmasutras. A closer scrutiny, for which there is no space here, would show that the governments of the Licchavis, Shakyas and Mallas possessed all the paraphernalia of a monarchical state. One would expect that the prime minister of the largest democracy in the world is better informed about the country's past before articulating his effete and obsolete ideas and misleading the people of the country.

http://indianexpress.com/article/opinion/columns/republics-for-kshatriyas-5071844/

The lack of transparency and accountability in the functioning of the judiciary erodes public trust in the institution which people look towards to uphold democratic principles and deliver justice.

The writers are members of the Campaign for Judicial Accountability and Reforms

http://indianexpress.com/article/opinion/columns/supreme-court-judges-conference-cji-indian-constitution-5073294/

Appeal to the Reeaders

You will be happy to know that the Voice of Buddha will now be published both in Hindi and English so that readers who cannot read in Hindi can make use of the English edition. I appeal to the readers to send their contribution through bank draft in favour of **"Justice Publication"** at T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001. The contribution amount can also be transferred in **'Justice Publication' Punjab National Bank account no. 0636000102165381 branch Janpath, New Delhi** under intimation to use by email or telephone or by letter. Sometimes, it might happen that don't receive the Voice of Buddha. In that case kindly write to us and also check up with the post office. As we are facing financial crisis to run it, you all are requested to send the contribution regularly.

Contribution :
Five Year : Rs 600/-
One Year : Rs. 150/-

VOICE OF BUDDHA

Publisher : Dr. UDIT RAJ (RAM RAJ), Chairman - Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42

● Year : 21 ● Issue 8 ● Fortnightly ● Bi-lingual ● Total Pages 8 ● 1 to 15 March , 2018

It's time now that the Dalits, backward and minorities fight together

Before the rally for reservation in Delhi on 26th December, 2017 Ramlila Maidan, under the patronage of Dr. Udit Raj, Dalit, OBC and Minorities Confederation (DOM Parisangh) was created, whose first conference was held on February 27, 2018 at Mavalankar Hall, Constitution Club, New Delhi and the conference was more successful than expected. Main participants were leaders and activists from Delhi and adjoining areas. It is now planned to organize this kind of conferences & meetings in all over the country.

The above conference was addressed by Dr. Udit Raj apart from Parmendra (Convenor), S.P. Verma, Hussein Waheed, Sudesh Yadav, Babu Lal, Vijay Bhagat (Deputy Mayor, North Delhi Municipal Corporation), Om Prakash Singhamar (Chairman of Delhi Pradesh Confederation), Savita Kadian Panwar (Chairperson, Women's Front) Confederation), Maulana Haji Ibrahim, Kali Ram Tomar, Neeraj Chak, M.S. Lakra, Mahasin Bhuraniya.

Dr. Udit Raj while addressing the conference said that in 2006, when the backward class got reservation in higher educational institutions, the so-called upper castes came on the streets in protest against it and not much voice from the backward was felt. When there was no counter protest in defence of reservation, Dr. Udit Raj rose to occasion and consulted some of OBCs social organization and asked them that why they are not coming forward in favour of reservation given to them in higher education. They all said that let Dr. Udit Raj lead and OBC organization will follow and that eventually happened.

Dr. Udit Raj further said that the recommendations of the Mandal Commission were declared by then Prime Minister Mr. V.P.Singh. In his tenure. It is to be mentioned that about 70% Muslims are reckoned in OBC category for purpose of reservation. Kanshi Ram ji was the one who struggled to get the recommendation of Mandal Commission implemented. Now the government departments and undertakings are being privatized rapidly and reservation has been hugely diluted. The confederation has been demanding reservation in the private sector for almost a decade. This fight is not just for Dalits, but it will also benefit backward and minorities. If today more than 310 universities are of the government, then the private sector has much more than that. There are thousands of engineering and medical colleges in the private sector, where reservation is not available. Currently not only of Dalits, but the rights of backward and minorities are also being attacked. He said that when he meets the Dalits, backward and other minority MPs in Parliament, he always asks them that why don't they raise the issue of reservations? The day the Dalits, backward and minorities will decide that they will vote for only those who fight for their rights the scenario will be changed. The irony is when it comes to vote Dalits & OBC vote for different political parties be it Congress or BJP or any other political parties and at that time they neglect their leaders. After the elections and formation of the governments, Dalits & OBC start remembering that what their leaders are doing ? Instead of putting the responsibilities on MPs and MLAs, we should peep inside ourselves and start a movement that of life Jats & Patels. He said that I listens to people's problems by conducting Janta Darbar five days a week. At that time he does not see the caste or religion the person belongs to, or whether he is from his Lok Sabha constituency or not, full efforts are made to resolve problem properly. If he meets100 people, then 50 of then are running their own organisations. When he asks that if you are not able to solve your problem yourself, then how will you help people who are connected to your organization in solving their problem. Then they start arguing that they are doing a lot of work for the society. He does not understand why there is no solution when so many people are engaged in social work. After deep introspection, he found that these people are running the organization for their ego satisfaction and self glorification. Yes, it certainly happens that sometimes the head of the organization gets some benefit. He quoted an example saying that he is invited every year by an organization of Agra which helps marrying hundreds of couples together and they enforce his participation in this social work. He never attended it and instead explained that if these couples will not get married then somehow or the other they will marry the girl or boy of their own choice and will further expand families by giving birth to children. He said that in medieval India, when the Dalits wore pots in the neck and broom on their waist, that time also they used to marry and have children, it was Baba Saheb Ambedkar who helped them achieve their rights and recognition in society. If an organization of such small and big organizations is created at the national level then it is not difficult to save our rights.

***

A transparency deficit

The allegations by the judges also raise serious doubts about the independence of the judiciary, given that an estimated 45 to 70 per cent of litigation involves the government.

Anjali Bhardwaj , Prashant Bhushan

The January 12 press conference by Supreme Court (SC) judges exposed deep faultlines in the judiciary. The trigger for the unprecedented step seems to have been the arbitrary allocation of benches by the Chief Justice of India (CJI). This raises fundamental questions on the credibility of the institution and its ability to dispense justice. The allegations by the judges also raise serious doubts about the independence of the judiciary, given that an estimated 45 to 70 per cent of litigation involves the government. It must be ensured that benches are allocated in a rational, fair and transparent manner. While the recent move to publish the SC's roster is welcome, the allocation of benches leaves much to be desired. The CJI is, no doubt, the Master of the Roster. However, discretion cannot be construed to mean arbitrariness. It is important that the CJI prepare the roster in consultation with other judges, at least the members of the collegium. Cases must be allocated among judges according to their expertise, and if there is more than one judge dealing with a particular subject, cases should be allocated randomly to them.

Politically-sensitive cases and matters involving constitutional disputes need to be decided by a bench consisting of the five senior-most judges, or randomly allocated among them. That said, it is important to recognise that at the heart of the current crisis is the larger issue of accountability of judges. The courts have held that the right to information is a fundamental right flowing from Article 19 and Article 21 of the Constitution, and that transparency in the working of public functionaries is critical in a democracy. Unfortunately, however, after the passage of the RTI Act in 2005, the courts have not been very forthcoming in providing information about their own functioning.In the last few years, five such matters seeking vital information related to the accountability of the judiciary reached the apex court. Three were referred to a constitution bench in August 2016 and await adjudication. One case relates to information about the appointment of judges: The applicant sought a copy of the correspondence between the CJI and other concerned constitutional authorities relating to the appointment of three SC judges, superseding the seniority of three others. In the second case, the RTI applicant sought information related to the declaration of assets held by the judges of the SC and high courts in their own name, or in the name of their spouse or any person dependent on them.

In the third case, quoting a media report, an RTI application was filed with the SC seeking copies of the correspondence between the then CJI and a judge of the Madras High Court regarding the attempt of a Union minister to influence judicial decisions of the said high court. The two other matters, wherein petitions against denial of information were dismissed by the SC, also raised matters of great public interest. One sought information about cases pending with the apex court in which the arguments had already been heard but judgments had been reserved. In the other matter, the applicant sought information on the total amount of public money spent on the medical expenses of individual judges reimbursed by the SC. By resisting transparency in all these matters, the judiciary has evaded accountability to the people of India.

Opaqueness in the process of judicial appointments has also been a matter of much public debate. The SC's 2015 judgment in the NJAC matter underlined the need to enhance transparency in the functioning of the collegium system. Justice Chelameswar's refusal to attend meetings of the collegium on the grounds that its functioning lacks transparency, to the extent that even some members of the collegium are unaware of the basis on which judicial appointments are made, pointed to the deep malaise that afflicts the judicial appointments process.

Though some measures have been taken recently to place resolutions of the collegium in the public domain, the Memorandum of Procedure (MoP) related to the appointment of judges, which has been referred to in the letter by the four judges, continues to be kept under cover. Neither has the draft MoP prepared by the collegium been put in the public domain, nor have the comments of the government, if any, been communicated to the public.

The lack of transparency and accountability in the functioning of the judiciary erodes public trust in the institution which people look towards to uphold democratic principles and deliver justice.

The writers are members of the Campaign for Judicial Accountability and Reforms

http://indianexpress.com/article/opinion/columns/supreme-court-judges-conference-cji-indian-constitution-5073294/

Publisher, Printer and Editor - Dr. UDIT RAJ (FORMERLY KNOWN AS RAM RAJ), on behalf of Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42, Telefax:23354843, Printed at Sanjay Printing Works, WZ-4A, Basai Road, New Delhi.
Website : www.aiparisangh.com, www.uditraj.com E-mail: parisangh1997@gmail.com Computer typesetting by Ganesh Yerekar